खण्ड 9, अंक 2
शुक्रवार, 23 ज्येष्ठ, शक संवत् 1925
(13 जून, 2003 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2003)

(खण्ड 9 में 9 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :

निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

मूल्य :

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	1–3
प्रश्नोत्तर	3–30
विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत नयार नदी पर पुल सहित 3 कि0मी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	31
डोईवाला विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम तुनवाला के बाँगाखाल तोक में झूलते हुए बिजली के तारों को ठीक करने व पोल बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	31
उत्तरांचल प्रदेश में संविदा के आधार पर रखे गये भूतपूर्व सैनिकों का नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	31–32
सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के संगणकों को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय गुरुकुल व ऋषिकुल के शिक्षकों के वेतनमान एवं प्रोन्नति की समस्याओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद ऊधमसिंह नगर में दिनेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संयुक्त चिकित्सालय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	33
जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत पारकोट जाख बैनाली मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	33
जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट के जिला पंचायत पैदल मार्ग गंगोलीहाट–चौरपाल–नागघूणा–रैतोला के नागघूणा–चौरपाल भाग की मरम्मत के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	34
जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार की आठ पंचायतों को जनपद उत्तरकाशी में मिलाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	34
जनपद रुद्रप्रयाग में मयाली रणधार मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	34

विषय	पृष्ठ संख्या

जनपद रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा सौराखाल मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	34
जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के अधीन घनसाली मूलगढ़ ठेला गण्डाराखाला मोटर मार्ग के डामरीकरण तथा सुधारीकरण अवशेष निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	34–35
जनपद ऊधमसिंह नगर जसपुर पतरामपुर पो0ओ0 बढ़ीवाला तहसील काशीपुर फाटो ढेला रामनगर मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	35
हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (युनिवर्सिटी इन द स्काई) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित)	35
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	35–37
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	37–57
प्रदेश के प्राथमिक पाठशालाओं में मानक के आधार पर अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति तथा प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक अनिवार्य रूप से नियुक्त किये जाने विषयक प्रस्ताव (अस्वीकृत)	57–62
उत्तरांचल राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए चिकित्सा ढांचे में आमूल परिवर्तन विषयक प्रस्ताव (अस्वीकृत)	63–69
जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में 10 अगस्त, 2002 को दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त 52 नहरों के सुधार व मरम्मत विषयक संकल्प (अस्वीकृत)	69–72
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	72

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. " अनिल नौटियाल
3. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डे
6. श्रीमती आशा देवी
7. डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश
8. श्री उम्मेद सिंह मांजिला
9. " काशी सिंह ऐरी
10. " किशोर उपाध्याय
11. " कैलाश शर्मा
12. " कौल दास
13. " गगन सिंह
14. " गोपाल सिंह राणा
15. " गोविन्द लाल
16. " गोविन्द सिंह कुंजवाल
17. " जोत सिंह
18. " तसलीम अहमद
19. " तिलक राज बेहड़
20. " तेजपाल सिंह रावत
21. " दिनेश अग्रवाल
22. " नरेन्द्र सिंह भण्डारी
23. " नव प्रभात
24. " नारायण राम आर्य
25. " नारायण सिंह जंतवाल
26. काजी निजामुद्दीन
27. श्री प्रकाश पन्त
28. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
29. डा0 प्रताप बिष्ट
30. श्री प्रदीप टम्टा
31. " प्रीतम सिंह
32. " प्रीतम सिंह पंवार
33. " प्रेमानन्द महाजन
34. " फूल सिंह बिष्ट
35. श्री बलवीर सिंह नेगी
36. " विजयपाल सिंह सजवाण
37. " बिशन सिंह चुफाल
38. " भगत सिंह कोश्यारी
39. " मदन कौशिक
40. " मन्त्री प्रसाद नैथानी
41. " महेन्द्र भट्ट
42. " महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
43. " मातबर सिंह कण्डारी
44. " मालचन्द्र
45. चौ0 यशवीर सिंह
46. श्री रणजीत सिंह
47. " रसैल वैलेन्टाइन गार्डनर
48. " राम प्रसाद टम्टा
49. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
50. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
51. " शूरवीर सिंह सजवाण
52. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
53. श्री शहजाद
54. " साधू राम
55. " सुबोध उनियाल
56. " सुन्दरलाल मन्द्रवाल
57. " सुरेन्द्र सिंह नेगी
58. " सुरेश चन्द्र
59. डा0 हरक सिंह रावत
60. श्री हरबंश कपूर
61. " हरभजन सिंह चीमा
62. " हरिदास
63. " हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64. " हीरा सिंह बिष्ट
65. " हेमेश खर्कवाल
66. " त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनांक 13 जून, 2003

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में पूर्वान्ह 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कल हमने नियम 311 का नोटिस दिया था।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, पहले मेरी सूचना सुनी जाये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखण्ड क्रांति दल, बहुजन समाज पार्टी एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(सम्पर्ण विपक्ष अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे :– लाठी–गोली की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, दमन के बल पर यह सरकार नहीं चलगी–नहीं चलेगी, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें। मैं आपकी बात को नियम 56 में सुनने के लिए तैयार हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी उत्तराखण्ड क्रांति दल, बहुजन समाज पार्टी एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य वेल में आकर नारे लगाने लगे :– शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, लाठी–गोली की यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, दमन के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी)

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष से मेरा अनुरोध है कि कृपया माननीय सदस्यों को शान्त करें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इसे आप नियम 311 में सुन लें। यदि इसे नियम 311 में नहीं सुन सकते हैं तो विधान सभा की नियमावली से नियम 311 को निकाल दें। मान्यवर, इससे अधिक महत्वपूर्ण और कोई नहीं हो सकता है। आप चार धाम यात्रा में जाते हैं तो वहाँ अव्यवस्था पाई जाती है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का आदर करता हूँ। शिक्षा मंत्री जी

ने कहा कि वे शिक्षा बंधुओं को समझा चुके हैं यदि वे उन्हें समझा चुके होते तो यह स्थिति ही न आती।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अजय भट्ट जी, कृपया आसन ग्रहण करें। मैं इसे नियम 56 में ले रहा हूँ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आप इसे नियम 311 में सुन लें।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं इनको नियम 56 में ले रहा हूँ, आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ मामला है मैंने इस प्रकरण को पिछले सत्र में भी उठाया था और आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको इस प्रकरण पर 5 अप्रैल को नियम 56 में सुन चुका हूँ। आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जो स्थिति वहाँ पर थी वही आज भी है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसे नियम 56 में सुन लिया था अब तक तो आपको उत्तर भी प्राप्त हो गया होगा।

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उत्तराखण्ड क्रांति दल तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य वेल में नारे लगाने लगे)।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 11.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष के पुनः 11.30 बजे पीठासीन होने पर)

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उत्तराखण्ड क्रांति दल तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गए।)

श्री काशी सिंह ऐरी-

मान्यवर, हमने नियम 311 में एक प्रश्न उठाया था।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पहले भी कहा है कि आपकी सूचना को नियम 56 में सुन लूँगा।

श्री काजी निजामुद्दीन-

मान्यवर, क्या हमारी सूचना भी नियम 56 में सुनी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मैं उसको देख लूँगा।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल के पर्यटक आवास गृहों को निजी क्षेत्र में सौंपने की योजना

*1-श्री अजय भट्ट एवं श्री मातबर सिंह कण्डारी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमाऊँ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल के पर्यटक आवास गृहों को सरकार निजी हाथों में सौंपने जा रही है ? यदि हाँ, तो अब तक कुल कितने पर्यटक आवास गृह चिन्हित किये गये हैं तथा इनमें कार्यरत कर्मचारियों के बारे में क्या निर्णय लिया गया है? क्या सरकार इनके भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन एवं आबकारी मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)-

कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों के सुधार एवं विकास के लिये निजी पूँजी निवेश प्राप्त करने एवं इन आवास गृहों को पर्यटकों के लिये और अधिक आकर्षक बनाये जाने के उद्देश्य से विशेषज्ञ कन्सल्टेंट संस्था इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड के माध्यम से एक अध्ययन कराया गया है। अध्ययन की आख्या प्राप्त हो चुकी है। अभी इस अध्ययन की संस्तुतियों का शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि विशेषज्ञ कन्सल्टेंट संस्था इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड के माध्यम से एक अध्ययन कराया गया है। पहले तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस कन्सल्टेंट संस्था के माध्यम से अध्ययन कराया गया है, उसको कितने रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा इस कार्य में कुल कितना पैसा खर्च हुआ है, यह संस्था हमारे प्रदेश के अन्दर की है या बाहर की? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसकी आख्या आ गयी है, यदि आख्या आ गयी है तो क्या माननीय मंत्री जी उस आख्या को आज सदन में रखेंगे?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, सर्वप्रथम तो मैं यह बता दूँ कि यह संस्था हमारे प्रदेश की नहीं है किन्तु हमारे देश की है। इसकी आख्या जनवरी माह में हमारे पास आ गयी थी, इसका अध्ययन किया जा रहा है। इसके आधार पर जो निर्णय लिया जायेगा, उससे सदन को अवगत करा दूँगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें कुल कितना खर्च आया है? इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्टेट के बाहर की कन्सल्टेंसी को अध्ययन का कार्य सौंपा गया, तो इसके लिए टेण्डर भी हुए होंगे और कतिपय अखबारों में विज्ञप्ति भी निकाली गयी होगी। इसमें कुल कितनी संस्थाओं ने टेण्डर दिये और किसका टेण्डर स्वीकार हुआ तथा दूसरे, तीसरे और चौथे नम्बर पर कौन सी संस्थाएं रहीं, इसकी जानकारी भी दे दें।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें विशेष कन्सल्टेंट के माध्यम से नियोजन की व्यवस्था है। आई0डी0एफ0सी0 कम्पनी भारत सरकार की संस्था है। भारत सरकार की इसमें 40 प्रतिशत पूँजी निवेश है। उत्तरांचल सरकार का आई0डी0एफ0सी0 के साथ जून, 2001 में एक समझौते के तहत एम0ओ0यू0 साइन किया गया। यह एम0ओ0यू0 तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में हुआ था। इसमें आई0डी0एफ0सी0 से अध्ययन कराया गया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें मेरा जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं आया। आपने कन्सल्टेंसी विदेशी संस्था को दी। इसमें आपका मानक क्या था, इसे हमारे प्रदेश की जनता जानना चाहती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इसके बारे में स्पष्ट कर दें।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, जो मैमोरण्डम साइन हुआ, उसके तहत दिया गया है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एम०ओ०यू० साइन हुआ। भट्ट जी ने जो प्रश्न पूछा कि यह प्रदेश की जनता की जिज्ञासा है। इस प्रकार का कोई नाम नहीं बना है जिसके तहत बाहर के लोगों को काम दिया जाय। मान्यवर, यह जनहित का मुद्दा है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि एम०ओ०यू० साइन कर कन्सलटेन्सी दे दी है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि किन आधारों पर आपने आई०डी०एफ०सी० को चुना। भारत सरकार की कई जगह 40 प्रतिशत पूँजी लगी है। कहो तो मैं आपके सामने गिना देता हूँ। कृपया आप इसे स्पष्ट करने की कृपा करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, आपने कहा कि पिछली सरकार का था, मैं नहीं मानता हूँ कि एम०ओ०यू० था। माननीय सदस्य ने पूछा है।

मान्यवर, माननीय सदस्य यह जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार द्वारा इसका भली–भाँति रिव्यू किया गया? कोई और फर्म भी इससे अच्छा काम कर सकती थी। आँख–कान बंद करके इस फर्म को काम करने के लिए कह दिया गया।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, जून, 2001 में एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किये गये। पिछली सरकार द्वारा किये गये एम०ओ०यू० का सम्मान किया गया। 25 लाख रुपये की लागत का कार्य उनको दिया गया। उनकी कार्य रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है। उसका अध्ययन किया जा रहा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मूल प्रश्न में यह पूछा गया है कि इनमें कार्यरत कर्मचारियों के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ? क्या सरकार इनके भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है? मंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। इसका अध्ययन कब तक कर दिया जायेगा, यह अघोषित है इनमें कार्यरत कर्मचारियों को यदि प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जायेगा तो इनमें कार्यरत कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, जैसा कि मैंने अवगत कराया कि आई०डी०एफ०सी० ने जो रिपोर्ट दी है उसमें तमाम बातों का उल्लेख है। बहुत से सुझाव उस रिपोर्ट में दिये गये हैं। सरकार उन सुझावों को किस तरह अपनायेगी इस सम्बन्ध में सरकार सजग है। कार्यरत कर्मचारियों का भविष्य हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। हमारे आदमी हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, क्या अन्य कन्सल्टेंट कम्पनियों को भी देखा गया या नहीं ? माननीय मंत्री जी से यह पूछा गया। जिसके परिपेक्ष्य में माननीय मंत्री जी द्वारा यह उत्तर दिया गया

कि जून, 2001 में हस्ताक्षर हो गये थे। पिछली सरकार द्वारा जो एम0ओ0यू0 किया गया उसका सम्मान किया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा यह नहीं बताया जा रहा है कि आई0डी0एफ0सी0 को ही यह काम क्यों सौंपा गया? माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अभी मूल प्रश्न को स्थगित रखा जाये। क्योंकि माननीय मंत्री जी के पास पूरी सूचनाएं नहीं हैं। और यह सम्भव भी नहीं है कि उनके पास समस्त सूचनाएं इस वक्त उपलब्ध हों।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इस कम्पनी को कार्य देने की प्रक्रिया इस प्रकार हुई। सर्वप्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इसका ज्ञापन निकाला गया। इसमें विशेषज्ञ लगाये गये। तकनीकी और फाइनेंशियल बिड आमंत्रित की गई। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने इसका अध्ययन किया। जिस कम्पनी का फाइनेंशियल बिड कम और तकनीक अच्छी थी, उसी को इसलिए काम सौंपा गया।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, कितनी कम्पनियों के बिड मँगवाये गये?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इस बारे में विस्तृत सूचना उपलब्ध करा दूँगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी के पास पूरी सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। यदि माननीय मंत्री जी सहमत हों तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें। जब सम्पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हो जायेंगी तो यह प्रश्न पुनः आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित कर रहा हूँ।

(तालियाँ)

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित तथा पर्यटक आय में वृद्धि की योजना

*2–श्री मदन कौशिक–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने एवं पर्यटकों से होने वाली आय बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति में देशी व विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु महत्वपूर्ण प्राविधान किये गये हैं। मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :–

1. संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण (पर्यटन विकास परिषद् का गठन)।
2. पर्यटन व्यवसाय में नियोजन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ कन्सल्टेंट्स संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना।
3. राज्य सरकार, भारत सरकार एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से उच्च स्तर की अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना।
4. प्रमुख यात्रा/पर्यटन स्थलों पर आवासीय इकाईयों को उच्च स्तरीय सुविधायुक्त बनाना एवं नई आवासीय इकाईयों का सृजन।
5. अवस्थापना सुविधाओं, पर्यटन योजनाओं एवं आवासीय इकाईयों के लिये देशी व विदेशी पूँजी निवेश को आकर्षित करना।
6. उत्तरांचल को एक प्रमुख पर्यटन केन्द्र के रूप में प्रचारित एवं प्रसारित करने एवं इसके विपणन के लिए पर्यटन साहित्य, विज्ञापन, वैबसाईट, इलैक्ट्रानिक मीडिया, फैमिलराईजेशन टूअर्स एवं देश व विदेश में पर्यटन उत्सवों/मार्टों में भागीदारी सुनिश्चत करना।
7. सांस्कृतिक, नैसर्गिक व पारिस्थकीय पर्यटन को सुनियोजित ढंग से विकसित करना।
8. पर्यटन ग्रामों की स्थापना।
9. ट्रैकिंग व हाईकिंग, रिवर रॉफ्टिंग, क्याकिंग, कैनोईंग, वायु क्रीडाओं, जल क्रीडाओं, जैसे पर्यटन आकर्षणों को विकसित करना।
10. शीतकालीन क्रीड़ा केन्द्रों की स्थापना/विकास करना।
11. स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहित करना।
12. नये पर्यटन गन्तव्यों का विकास करना।

उपरोक्त नीतिगत व्यवस्थाओं के सुनियोजित क्रियान्वयन हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर मेरे मूल प्रश्न से हटकर आया है। मेरा मूल प्रश्न था विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कोई कार्ययोजना सरकार के विचाराधीन है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ जब से यह सरकार आयी उस समय से विदेश से आने वाले पर्यटक विदेशी तीर्थ यात्री के रूप में हैं या अन्य किसी रूप में हैं। इनकी संख्या कितनी थी; इनसे कितनी आय हुई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इनकी संख्या में वृद्धि हुई है या नहीं?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री ["डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, मेरे पास जो आँकड़े हैं, इनके अनुसार विदेशी पर्यटकों की संख्या में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चार धाम यात्रा पर पिछले वर्ष तीन लाख तीर्थ यात्री आये थे, इस साल इनकी संख्या पाँच लाख हो गयी है। अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इनकी संख्या में दो लाख की वृद्धि हो गयी है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्वांइटेड प्रश्न पूछा कि कितने विदेशी पर्यटक आये और उनसे होने वाली आय कितनी हुई?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 2000 में 56766 थी, वर्ष 2001 में 54401 थी, वर्ष 2002 में 55974 थी और वर्ष 2003 में जनवरी से मार्च तक 13425 थी। मान्यवर, इन तीन महीनों में विदेशी पर्यटकों में 3 प्रतिशत की बढ़त हुई और पर्यटकों की कुल संख्या में 4 प्रतिशत की बढ़त हुई।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, विदेशी पर्यटकों से कितनी इनकम हुई?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वर्ष 2003 में जनवरी से मार्च तक विदेशी पर्यटकों से इनकम में वृद्धि हुई।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं मान लेता हूँ कि यह जो बढ़त बताई है यह उत्साहजनक है। हमारे माननीय सदस्य ने पूछा कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है और क्या विचार कर रही है, तो माननीय मंत्री जी ने 12 योजनाओं की जानकारी दी है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने योजना संख्या 6 में कहा कि उत्तरांचल को एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र के रूप में प्रचारित एवं प्रसारित करने एवं इसके विपणन के लिए पर्यटन साहित्य, विज्ञापन, वैबसाईट, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, फैमिलाराइजेशन टूअर्स एवं देश व विदेश में पर्यटन उत्सवों/मार्टो में भागीदारी सुनिश्चित करना। मान्यवर, यह अच्छी बात है कि जब तक हम पूरी दुनिया को बतायेंगे नहीं कि इतनी सुविधा हमारे यहाँ है तब तक कोई आयेगा नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी बाहर जो कुछ भी दिखा रहे हैं क्या उसकी सही तस्वीर अन्दर भी है, इसका कोई विवरण दे रहे हैं।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मुझे खेद है कि आप को कष्ट हुआ, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा हर तरह से प्रयास है कि हमारे जो भी पर्यटक हैं उनकी देखभाल सही तरीके से हो। यह हमारा दायित्व बनता है इसमें कोई शक की बात नहीं है। मान्यवर, टूरिज्म इज ऐन एवरीवन बिजिनेस।

मान्यवर, इस हिसाब से बेशक हमारे जो कर्मचारी हैं उनमें हो सकता है कि आपने कोई कमी पायी हो, तो उनको शिक्षा–दीक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हमारे टूरिस्ट जो आयें उनको सही तरीके से हैण्डिल कर सकें। मान्यवर, अब इसमें एक दिन में तो सुधार हो नहीं सकता, थोड़ा समय अवश्य लगेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जहाँ तक मेरी जानकारी है पर्यटन विभाग एक लाभ का विभाग है। क्या धार्मिक दृष्टि से चारधाम, हेमकुण्ड साहिब आदि का वर्गीकरण किया गया है और कितने–कितने विदेशी पर्यटक यहाँ पर आये?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपको सन् 2002 के आँकड़े दे सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि केदारनाथ में 1,69,217, बद्रीनाथ में 4,48,597, हेमकुण्ड साहिब में 3,40,578, गंगोत्री में 1,18,374 तथा यमुनोत्री में 54,023 टूरिस्ट आये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, क्या कलियर शरीफ में कोई विदेशी पर्यटक नहीं आए और मेरी जानकारी है कि वहाँ पर तथा हेमकुण्ड साहिब में हर वर्ष पर्यटक आते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कलियर शरीफ इतना बड़ा पर्यटन स्थल है तो क्या वहाँ पर विदेशी पर्यटक नहीं आये होंगे? मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो आँकड़े दिये हैं वे स्वदेशी थे या विदेशी?

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आपका प्रश्न, मूल प्रश्न की परिधि में नहीं आता है।

हल्द्वानी मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित दुर्गापुर बिरंचीपद राय निवास से जगदीशपुर डाम तक निर्मित मार्ग की जानकारी

*3–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या कृषि मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में मण्डी समिति गदरपुर की ओर से हल्द्वानी मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित दुर्गापुर बिरंचीपद राय निवास से जगदीशपुर डाम तक निर्मित मार्ग की खस्ता हालत की शिकायत की गयी? इस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या इस कार्यवाही में विभाग / ठेकेदार को दोषी पाया गया?

यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

कृषि एवं विपणन मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

इस सम्बन्ध में निदेशक, उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् से आख्या प्राप्त की जा रही है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, यह जो जवाब है, इस जवाब से मैं तो क्या, शायद कोई भी सदस्य सन्तुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसी मार्ग के विषय में एक अतारांकित प्रश्न भी मैंने लगाया था और सौभाग्य से वह प्रश्न भी इसमें लगा है और जो अतारांकित प्रश्न संख्या 4 है इसमें यह जवाब दिया गया है कि यह तो मण्डी समिति ने बनाया ही नहीं और इस प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जाँच चल रही है।

मान्यवर, इसमें यह कहा जा रहा है कि जाँच चल रही है। जबकि इस मार्ग को बनाने वाले और स्वीकृत करने वाले माननीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हमारे बीच में बैठे हैं। इसलिए हम माननीय मंत्री जी के इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। यह तो लापरवाही वाला जवाब है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूँ कि समस्त मण्डी परिषद् की सड़कों की जाँच टी0ए0सी0 द्वारा करवाई जा रही है और शीघ्र ही जाँच रिपोर्ट आ जायेगी और इसमें जो भी दोषी पाया जायेगा चाहे वह अधिकारी हो, कर्मचारी हो या फिर ठेकेदार हो, उस पर कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए आपके माध्यम से सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि इस मार्ग को निर्माण किये जाने की आवश्यकता है तो 15–20 दिन के अन्दर हम निर्माण कार्य करवा देंगे।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह तो बड़ी अजीब बात है कि यही प्रश्न तारांकित प्रश्न संख्या 3 है और यही अतारांकित प्रश्न संख्या 4 है और दोनों में माननीय मंत्री जी ने अलग–अलग उत्तर दिया जबकि मार्ग का नाम एक ही है। मान्यवर, तारांकित प्रश्न संख्या 3 में इन्होंने आख्या माँगी है और अतारांकित प्रश्न संख्या 4 में कहा है कि यह सड़क मण्डी परिषद् द्वारा नहीं बनायी गयी है। मान्यवर, इन दोनों उत्तर में विरोधाभास है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि टी0ए0सी0 के माध्यम से जाँच हो रही है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, सवाल सदन की गरिमा का है। मान्यवर, सदन में यह कहा गया है कि नहीं बनाया गया तो यह विशेषाधिकार का हनन है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, मेरा कहना है कि समस्त कार्य जो दो साल या तीन साल पूर्व से आज तक जितने भी कार्य शुरू हुए, उन समस्त कार्यों की जाँच टी0ए0सी0 के माध्यम से चल रही है जैसा ही टी0ए0सी0 की रिपोर्ट आ जायेगी और जो भी सड़क मण्डी परिषद् के

माध्यम से बनी होगी उसमें जो भी अधिकारी/कर्मचारी गलत होगा उस पर कार्यवाही की जायेगी।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह सदन की गरिमा का सवाल है, अगर इसी तरह से प्रश्नों के उत्तर दिये गये तो क्या फायदा?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, कृपया आप तारांकित प्रश्न संख्या 3 देखें। जिसमें दुर्गापुर बिरंजीपद राय निवास से जगदीशपुर डाम तक निर्मित मार्ग मण्डी परिषद् गदरपुर की ओर से बनाई जा रही है जिसमें आख्या प्राप्त की जा रही है और दूसरा अतारांकित प्रश्न संख्या 4 जो दुर्गापुर नं0 2 धिमरी ब्लाक से जगदीशपुर डाम तक निर्मित सम्पर्क मार्ग मण्डी परिषद् हल्द्वानी द्वारा किया गया है। जिसमें माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि यह सम्पर्क मार्ग मण्डी परिषद् द्वारा नहीं कराया गया है। मान्यवर, ये दोनों सड़क अलग–अलग हैं।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, ये दोनों सड़कें एक ही हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सड़क एक हो सकती है लेकिन प्रश्न के माध्यम से स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक हल्द्वानी मण्डी परिषद् का प्रश्न है तो दूसरा गदरपुर मण्डी परिषद् से सम्बन्धित है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि प्रश्नकर्ता जो कि सम्मानित सदस्य हैं क्योंकि उनके द्वारा सूचना गलत नहीं दी जा सकती। मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय श्री प्रेमानन्द महाजन से स्पष्ट कर लिया जाए।

मान्यवर, हम यह मानकर चलते हैं कि सदस्य कभी झूठ नहीं बोलता है। मान्यवर, यह एक नये किस्म का प्रश्न आया है। यह जाँच का विषय है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य से पूछ लिया जाये कि ये दोनों सड़कें एक ही हैं या अलग–अलग और इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हो सकता है कि माननीय सदस्य के अनुसार ये दोनों सड़कें एक ही हों, लेकिन प्रश्न में दोनों सड़कों के नामों मे अन्तर है। तारांकित प्रश्न संख्या 3 में सड़क का नाम दुर्गापुर बिरंचीपद राय निवास से जगदीशपुर डाम हैं, जबकि अतारांकित प्रश्न संख्या 4 में सड़क का नाम दुर्गापुर नं0 2 धिमरी ब्लाक मार्ग से जगदीशपुर डाम है। इसलिए मान्यवर, ये दोनों सड़कें अलग–अलग हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रेमानन्द महाजन जी आप बतायें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, यह मार्ग मेरे गृह क्षेत्र में है। यदि आप मेरे घर आयेंगे तो इसी मार्ग से आयेंगे। इसका मण्डी क्षेत्र गदरपुर में आता है, लेकिन इसका हेड ऑफिस हल्द्वानी है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, एक ही प्रश्न के दो अलग–अलग उत्तर, यह तो सदन की गरिमा के खिलाफ हैं। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अब यह उत्तर सदन की प्रॉपर्टी बन चुका है। इसमें जाँच होनी चाहिए। यह गम्भीर विषय है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे है। कृपया सुन लें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, मण्डी परिषद् द्वारा जिस मार्ग का निर्माण किया गया है वह है दुर्गापुर नं0 1 से जगदीशपुर ग्राम तक। अतारांकित प्रश्न में जिस मार्ग का उल्लेख किया गया है वह है दुर्गापुर नं0 2 से जगदीशपुर ग्राम तक। मान्यवर, ये दोनों मार्ग अलग–अलग हैं।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, ये दोनों सड़कें एक ही हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यदि सत्ता पक्ष इस तरह गलत सूचनाएं सदन में देगा तो ये बहुत ही गलत परम्परा है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, ये दोनों सड़कें एक ही हैं। इसे दुर्गापुर नं0 1 कहें या दुर्गापुर नं0 2 कहें।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ विरोधाभास जरूर है। मैं जानता हूँ कि माननीय मंत्री जी इतनी गहराई में नहीं जा पायेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों से व्यक्तिगत अनुरोध किया था कि जो भी उत्तर सदन में दिये जाये वह स्पष्ट हों उनमें कहीं कोई विरोधाभास न हो। माननीय मंत्री जी तो गहराई में नहीं जा पायेंगे परन्तु जो अधिकारी उत्तर तैयार करते हैं उन्हें आदेशित किया जाना चाहिए कि वे उत्तर सही ढंग से तैयार करें जब वह उत्तर सदन में आये तो उनमें कोई विरोधाभास न हो।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, विरोधाभास तो प्रश्नों में हैं एक प्रश्न में पूछा है कि उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा गत 5 वर्षों में उत्तरांचल में बनाये गये मार्गों में से कितने मार्गों की गुणवत्ता की जाँच के लिए ग्रामीणों/जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई और कितनी शिकायतों की जाँच करने पर सही पाया गया तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई क्या दुर्गापुर नम्बर 2 धिमरी ब्लाक मार्ग से जगदीशपुर डाम तक बनी सड़क का निर्माण कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् हल्द्वानी द्वारा किया गया और दूसरे प्रश्न में है कि मण्डी समिति गदरपुर की ओर से हल्द्वानी मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित दुर्गापुर बिरंचीपद राय निवास से जगदीशपुर डाम तक निर्मित मार्ग की खस्ता हालत की शिकायत की गई और उस पर क्या कार्यवाही की गई।

(मा0 सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें, माननीय मंत्री जी का उत्तर पूरा होने दीजिये।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर देने में कोई गलती नहीं हुई।

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम माननीय मंत्री जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, दुर्गापुर नम्बर 1 अलग गाँव है और दुर्गापुर नम्बर 2 अलग गाँव है।

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह जाँच का बिन्दु है एक समिति का गठन कर दिया जाये जो जाँच कर लेगी।

(घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, सरकार की तरफ से अलग–अलग उत्तर आ रहे हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, इसमें हुआ यह है कि कोई एक सडक सिर्फ कागजों में बन गई है और सरकार इसे अब गोल–मोल कर रही है।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, यह 5–4–2000 की सड़क है, जो माननीय सदस्य ने जानकारी चाही थी वह यह है कि दुर्गापुर नम्बर एक से जगदीशपुर डाम तक और दूसरी बात आपने कही कि दुर्गापुर नम्बर 2 से धिमरी ब्लाक से जगदीशपुर डाम तक का।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नम्बर 1 तो कहीं है ही नहीं तो मंत्री जी के उत्तर में यह विरोधाभास क्यों आ रहा है?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, इसका 2000 में टेण्डर हुआ था और टेण्डर में साफ लिखा रहता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वह टेण्डर कहाँ है?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, वह टेण्डर मैं आपको दे रहा हूँ। यह टेण्डर दुर्गापुर 1 से जगदीशपुर डाम तक की सड़क का है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि दो सड़कें हैं तो दूसरी सड़क का टेण्डर कहाँ है? दूसरी सड़क का टेण्डर भी लाना चाहिए था।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वयं उत्तर देने में समर्थ हैं लेकिन फिर भी 3–3 माननीय मंत्रीगण एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी को अयोग्य समझ कर इस प्रश्न का सामूहिक उत्तर देने की कोशिश की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस प्रकरण की जाँच करा ली जाए, इससे सम्पूर्ण सदन का निराकरण हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप इस प्रश्न को लिखित में माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, आपको उत्तर मिल जायेगा।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि कोई माननीय सदस्य इस विषय पर सुनिश्चित जानकारी देते हैं, तो मैं इसकी जाँच टी0ए0सी0 से कराऊँगा।

उत्तरांचल के प्रत्येक जिले में बेस अस्पताल तथा तहसील स्तर पर 50 शैय्या वाले अस्पतालों की स्थापना

*4–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के प्रत्येक जिले में बेस अस्पताल तथा तहसील स्तर पर 50 शैय्या वाले अस्पतालों की स्थापना किये जाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

3 जिलों के बेस चिकित्सालय, श्रीनगर (पौड़ी), अल्मोड़ा, हल्द्वानी (नैनीताल) को छोड़कर अन्य जिला चिकित्सालयों को बेस चिकित्सालयों के समकक्ष सुविधायें प्रदान कर चरणबद्ध रूप से तीन वर्षों में सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तरांचल में कुल 49 तहसीलों में 7 स्थानों पर जिला चिकित्सालय, 2 स्थानों पर बेस चिकित्सालय, 8 स्थानों पर संयुक्त चिकित्सालय पूर्व से ही स्थापित है। 16 स्थानों पर 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व से ही स्थापित है। अतः अवशेष 16 तहसील स्तरीय चिकित्सालयों को चरणबद्ध रूप से 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस वर्ष कितने जनपदों में बेसिक चिकित्सालय की सुविधा दी जायेगी? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो बेस अस्पताल हैं, क्या उनमें वास्तव में सभी सुविधाएं और स्टाफ उपलब्ध है? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जिन 3 बेस अस्पतालों का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया, क्या वह सही ढंग से कार्य कर रहे हैं?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग और बागेश्वर में 3 जिला अस्पतालों की स्वीकृति दी गयी है। जहाँ तक बेस अस्पतालों को सुविधा देने की बात है, हम चरणबद्ध तरीके से सभी बेस अस्पतालों को सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। जल्द ही सभी बेस अस्पतालों को सारी सुविधाएँ प्रदान कर दी जायेंगी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा कि कितने अस्पताल आपने खोले। मैं पूछ रहा हूँ कि जो आपके बेस अस्पताल हैं उनमें क्या सभी अस्पतालों में डाक्टर और कर्मचारी हैं वह सुव्यवस्थित रूप से चल रहे हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, उत्तरांचल के अन्दर तीन बेस अस्पताल हैं श्रीनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी। तीनों अस्पतालों में ये सभी सुविधायें उपलब्ध हैं, केवल विशेषज्ञों की कमी है उनको पूरा करने की हम व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाह रहा हूँ। माननीय मंत्री जी ने कहा वहाँ पर सभी सुविधायें उपलब्ध हैं, मौके पर जायें तो कहीं डाक्टर नहीं है, कहीं पर कर्मचारी नहीं हैं, मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि तीनों बेस अस्पतालों में सारी सुविधायें उपलब्ध हैं मात्र विशेषज्ञ की कमी है, उस कमी को पूरा कर रहे हैं। माननीय सदस्य चाहें तो पढ़ के बता दें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने कहा सभी बेस अस्पतालों में सारी सुविधायें उपलब्ध हैं। क्या श्रीनगर और अल्मोड़ा में एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आपने एम0आर0आई0 की बात कही है। आप पूर्व में भी इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं। तीन डाइगनोसिस सेन्टर स्वीकृत हुए हैं, श्रीनगर, देहरादून के लिए भवन हेतु पैसा भी दे दिया है, तत्पश्चात् स्ट्रूमेंट लगा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

सरकार द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शाखा देहरादून में खोले जाने के लिए भूमि की व्यवस्था

*5–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,

श्री मातबर सिंह कण्डारी, एवं

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शाखा, देहरादून में खोले जाने हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :– नत्थी 'क' तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री तिलक राज बेहड़–

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शाखा खोलने के विषय में भारत सरकार के कोई औपचारिक आदेश अथवा योजना की रूपरेखा प्राप्त नहीं हुई है तथापि अनौपचारिक रूप से उपरोक्त प्रस्तावित योजना की जानकारी मिलने पर राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को सैद्धान्तिक रूप से भूमि तथा अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2003 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत तथा श्री मातबर सिंह कण्डारी, मा0 सदस्य द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 05 के सापेक्ष 'अनुपूरक सामग्री' :–

मा0 केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री के स्तर से यह पत्र प्राप्त हुआ कि भारत सरकार एम्स के 6 रिजनल सेन्टर खोलने पर विचार कर रही है। स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल की ओर से भी इस विषय में यह जानकारी दी गई कि रिजनल सेन्टर हेतु राज्य सरकार की ओर से भूमि तथा अवस्थापना सुविधाओं के विषय में आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस क्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार को यह पत्र भेजा गया कि प्रस्तावित परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से जो भूमि तथा अवस्थापना सुविधायें वांछित हैं वह देने के लिए राज्य सरकार तैयार है। उन्होंने यह अनुरोध किया कि केन्द्रीय सरकार की योजना से सम्बन्धित आवश्यक सूचनायें शीघ्र राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी जायें।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री द्वारा यह इंगित किये जाने पर कि लगभग 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास प्रारम्भ किये जा रहे हैं। आई0डी0पी0एल0 की भूमि के विषय में कार्यवाही हेतु उद्योग विभाग से अनुरोध किया गया है।

दुगड्डा–चूनाधार (पौड़ी) के सौन्दर्यीकरण हेतु आवंटित राशि का उपयोग

*6–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 222 प0अ0/156–पर्य0/2002, दिनांक 26 मार्च, 2002 द्वारा दुगड्डा–चूनाधार (पौड़ी) के सौन्दर्यीकरण हेतु नगरपालिका परिषद्, दुगड्डा को रु0 7.50 लाख की धनराशि वर्ष, 2001–2002 के लिए आवंटित की गई थी?

यदि हाँ, तो क्या उक्त धनराशि प्रस्तावित कार्य पर व्यय की जा चुकी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

दुगड्डा–चूनाधार (पौड़ी) के सौन्दर्यीकरण हेतु नगरपालिका परिषद्, दुगड्डा से कुल रु0 35.10 लाख की योजना प्राप्त हुई थी, जिसके विरुद्ध रु0 32.80 लाख की योजना को स्वीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2001–2002 में इस कार्य हेतु रु0 7.50 लाख की स्वीकृति निर्गत की गई थी। किन्तु कतिपय तकनीकी कारणों से इस वर्ष कोषागार से इस

धनराशि का आहरण नहीं हो सका। योजना के महत्व को देखते हुए पुनः वित्तीय वर्ष 2002-03 में उपरोक्त स्वीकृत लागत के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रु0 11.00 लाख की धनराशि नगरपालिका परिषद्, दुगड्डा को इस योजना पर व्यय करने हेतु उपलब्ध करायी जा चुकी है। योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। तद्नुसार धनराशि का व्यय विवरण प्राप्त हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे व अल्ट्रासाउन्ड मशीनों की सुविधा

*7-श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे व अल्ट्रासाउन्ड मशीनें उपलब्ध हैं?

क्या राज्य सरकार राज्य के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे व अल्ट्रासाउन्ड मशीनों की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़-

उत्तरांचल राज्य के 29 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे मशीनें तथा तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अल्ट्रासाउन्ड मशीनें उपलब्ध हैं।

प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है किन्तु प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अल्ट्रासाउन्ड मशीन उपलब्ध कराने पर विचार नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्ट्रासाउन्ड व एक्स-रे मशीनों के संचालन के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता होती है साथ ही इन मशीनों की लागत भी काफी होती है। प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे तथा अल्ट्रासाउन्ड तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों पर अल्ट्रासाउन्ड की सुविधा उपलब्ध कराया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आपातकालीन सेवा हेतु औषधियों की व्यवस्था

*8-श्री प्रीतम सिंह पंवार-

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में अवस्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आपातकालीन सेवा हेतु औषधियों की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

राज्य में आपातकालीन सेवायें एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सालयों के माध्यम से पूर्व से ही स्थापित है तथा आपातकालीन सेवा हेतु औषधियाँ आधुनिक चिकित्सा की श्रेणी में आते है। अतः ऐसी स्थिति में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आपातकालीन सेवा हेतु औषधियों की व्यवस्था किये जाने का पर्याप्त औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को जन स्वास्थ्य से जोड़ने की योजना

*9–श्री सुरेश चन्द्र जैन–

क्या चिकित्सा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को जनस्वास्थ्य से जोड़ने हेतु क्या कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पूर्व से ही राज्य में स्थापित 468 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के माध्यम से जनस्वास्थ्य तथा जन सामान्य से जुड़ी हुई है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को भी जनस्वास्थ्य से जोड़ने गत वित्तीय वर्ष 2002–03 में उत्तरकाशी के जनपद मुख्यालय पर 15 शैय्यायुक्त चिकित्सालय को 25 शैय्यायुक्त चिकित्सालय में परिवर्तित करते हुए योग एवं प्राकृतिक चिकित्साधिकारी के पद को सृजित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

राज्य गठन के बाद औषधियों के नमूने एवं पायी गई कमियाँ

1–श्री मदन कौशिक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य गठन के बाद अब तक औषधियों के कितने नमूने लिये गये?

जिन नमूनों में कमियाँ पायी गयी, उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री तिलक राज बेहड़–

राज्य गठन के बाद जनवरी, 2001 से मई, 2003 तक जाँच हेतु औषधियों के कुल 285 नमूने लिये गये। इनमें से अब तक 59 नमूनों की जाँच की गयी है। जाँचे गये

16 नमूनों में से अधोमानक पाये गये 15 नमूनों में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रक्रिया के अनुरूप विवेचना की जा रही है तथा 01 अधोमानक पाये गये नमूने के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय के वाद दायर कर दिया गया है।

मनेरी भाली परियोजना में कार्यरत कोस्टल एवं श्रींग कम्पनी के कार्मिकों/मजदूरों को श्रम कानूनों के अनुसार सुविधायें

2—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या श्रम मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना में कार्यरत कोस्टल एवं श्रींग कम्पनी के कार्मिकों/मजदूरों को श्रम कानूनों के तहत सुविधायें प्रदान की जा रही हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह विष्ट)—

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में पर्यटन विकास हेतु सुझाव

3—श्री अजय भट्ट—

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उनके पत्रांक संख्या 1294/1—2—46, दिनांक 16—09—02 द्वारा, जो उन्होंने विधायकों से उत्तरांचल के पर्यटन के विकास हेतु सुझाव माँगे थे, उन पर क्या कार्यवाही हुई ? प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रांक सं0—119/सभा0स0आ/ 8—10—02 को पर्यटन नगरी रानीखेत के बारे में दिये गये सुझावों पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही हुई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

माननीय विधायकों से उत्तरांचल में पर्यटन के विकास हेतु सुझाव माँगे गये थे। रानीखेत सहित मा0 विधायकों से प्राप्त अन्य सभी सुझावों को परीक्षण/योजना तैयार करने के उद्देश्य से समस्त सम्बन्धित जनपदीय कार्यालयों को प्रेषित किया जा चुका है, जिससे इन योजनाओं को गुणावगुण एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन किये जाने एवं धनावंटन किये जाने हेतु तैयार किया जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गापुर नं0 2 घिमरी ब्लाक मार्ग से जगदीशपुर डाम तक बने मार्ग के निर्माण में अनियमितताओं की जाँच।

4—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा गत 5 वर्षों में उत्तरांचल में बनाये गये मार्गों में से कितने मार्गों की गुणवत्ता की जाँच के लिए

ग्रामीणों/जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायतें की गई एवं कितनी शिकायतों की जाँच करने पर सही पाया गया तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई?

क्या दुर्गापुर नं0 2 थिमरी ब्लॉक मार्ग से जगदीशपुर डाम तक बने मार्ग का निर्माण कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, हल्द्वानी द्वारा किया गया ? क्या इसके विरूद्ध जाँच का कार्य चल रहा है?

यदि हाँ, तो जाँच में दोषी विभाग/ठेकेदार पर कोई कार्यवाही हुई?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् विगत पाँच वर्षों से नहीं बल्कि ढाई वर्षों से कार्यरत है। इस अवधि में 9 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनके सम्बन्ध में जाँच कार्य टैक्नीकल ऑडिट सेल, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा कराया जा रहा है।

जाँच रिपोर्ट आने पर ही यह इंगित किया जा सकता है कि कितनी शिकायतें सही हैं, तदोपरान्त ही दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

जहाँ तक दुर्गापुर नं0 2 थिमरी ब्लाक से जगदीशपुर डाम तक निर्मित सम्पर्क मार्ग का प्रश्न है। यह निर्माण कार्य उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा नहीं कराया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मण्डी परिषद् हल्द्वानी द्वारा मुक्तेश्वर, धारी, हल्द्वानी व नैनीताल विधान सभा क्षेत्रों में अवमुक्त की गई धनराशि के सम्बन्ध में

5–डा0 नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या कृषि मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मण्डी परिषद्, हल्द्वानी द्वारा जनपद नैनीताल के मुक्तेश्वर, धारी, हल्द्वानी व नैनीताल विधान सभा क्षेत्रों में पिछले वित्तीय वर्ष में विधान सभावार कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी?

क्या सभी विधान सभा क्षेत्रों में कार्य करने में समानता रखी गयी है?

यदि हाँ, तो कैसे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

गत वित्तीय वर्ष में विधान सभा मुक्तेश्वर, धारी, हल्द्वानी एवं नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत विकास कार्यों हेतु क्रमशः रु0 147.53 लाख, रु0 333.79 लाख, रु0 301.72 लाख एवं रु0 2.74 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई।

जहाँ तक विधान सभा क्षेत्रों में कार्य करने में समानता रखने का प्रश्न है यह उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्रों के मा0 विधायकगणों/मा0 मंत्रीगणों द्वारा संस्तुत किये गये कार्यों को वरीयता के क्रम में धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नैनीताल में निर्मित जीवन रक्षक औषधि ऐन्टीरेबिक वैक्सीन की विक्रय दर बढ़ाये जाने पर विचार

6—डा0 नारायण सिंह जन्तवाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य रक्षालय संस्थान पटवाडागर, नैनीताल में निर्मित जीवन रक्षक औषधि ऐन्टीरेबिक वैक्सीन की विक्रय दर बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

शासनादेश सं0 803/चि0—3—2003—104/2001, दिनांक 9—6—2003 द्वारा एन्टीरेबिक वैक्सीन का विक्रय मूल्य दर रु0 4.50 प्रति मिली0 से बढ़ाकर रु0 5.65 प्रति मिली0 कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल के गोविन्द बल्लभ पन्त चिकित्सालय (रेमजे चिकित्सालय) को आधुनिक सुविधाओं से युक्त चिकित्सालय बनाने पर विचार

7—डा0 नारायण सिंह जन्तवाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल स्थित गोविन्द बल्लभ पन्त चिकित्सालय (रेमजे चिकित्सालय) को आधुनिक सुविधाओं/सेवाओं से युक्त चिकित्सालय बनाने हेतु विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

संसाधनों के अभाव के कारण फिलहाल विचार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

शहर में ही स्थित एक अन्य चिकित्सालय जिला चिकित्सालय, नैनीताल (बी0डी0 पाण्डे पुरुष चिकित्सालय) में वर्तमान में लगभग सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

उत्तरांचल में वाहन दुर्घटनाओं में मरे लोगों को मुआवजा एवं रोकथाम के उपाय

8—श्री बलवीर सिंह नेगी—

क्या परिवहन मंत्री मित्र हैं कि उत्तरांचल में गत वर्ष किस जनपद में भारी व हल्का वाहन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं?

तथा इन दुर्घटनाओं में कुल कितने लोग मारे गये?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन दुर्घटनाओं में मारे गये लोगों के मुआवजे पर कितनी धनराशि का आवंटन हुआ?

तथा भविष्य में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

उत्तरांचल में गत वर्ष सभी जनपदों में कुल–473 भारी वाहन दुर्घटनाएं तथा 806 हल्का वाहन दुर्घटनाएं हुई थीं।

इन दुर्घटनाओं में कुल–813 लोग मारे गये थे।

वित्तीय वर्ष 2002–03 में दुर्घटनाओं में मारे गये लोगों के आश्रितों हेतु 57.00 लाख रुपये का आवंटन किया गया था।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिये हिल ड्राइविंग लाइसेंस/हिल फिटनेस परीक्षण नियमों को सख्ती से पालन कराये जाने तथा चालक/परिचालक लाइसेंस उचित प्रशिक्षण के पश्चात् जारी करने हेतु परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है तथा चालकों द्वारा ओवरलोडिंग/ओवरस्पीडिंग पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ–साथ ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंसों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु भी निर्देश दिये गये हैं तथा वाहनों को रात्रि में 7.00 बजे बाद संचालन पर रोक लगाने हेतु परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

भटवाड़ी–त्रिजुगीनारायण–केदारनाथ के पद यात्रियों हेतु रैन बसेरों का निर्माण

9–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भटवाड़ी–त्रिजुगीनारायण–केदारनाथ पदयात्रियों के ठहरने हेतु प्रत्येक 15–16 कि0मी0 की दूरी पर रैन बसेरा निर्माण करने हेतु सरकार की कोई कार्ययोजना है? क्या मंत्री जी यह भी जानकारी देंगे कि पदयात्रियों की सुविधा हेतु सभी आवश्यक सुविधायें जुटाने का सरकार प्रयास करेगी?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

उत्तरांचल में पदयात्रा मार्गों अर्थात् ट्रैकिंग मार्गों के विकास हेतु विशेषज्ञ कन्सल्टेंट संस्था पैनलकर फोस्टर के माध्यम से एक मास्टर प्लान तैयार करवाया जा रहा है। मास्टर प्लान की संस्तुतियों के आधार पर वित्तीय संसाधनों के अधीन पदयात्रा मार्गों का विकास एवं इन मार्गों पर आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

भटवाड़ी–बूढ़ाकेदार–घुत्तु–त्रिजुगीनारायण–केदारनाथ पदयात्रा तीर्थ यात्रियों को चारधाम यात्रा जैसी सुविधा पर विचार

10–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार भटवाड़ी–बूढ़ाकेदार–घुत्तु–त्रिजुगीनारायण–केदारनाथ पदयात्रा तीर्थ यात्रियों को भी चारधाम यात्रा के अन्तर्गत सुविधा

देने की कार्ययोजना पर विचार कर रही है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

उत्तरांचल में पदयात्रा मार्गों अर्थात् ट्रैकिंग मार्गों के महत्व को देखते हुये विशेषज्ञ संस्था मै0 पैनलकर फोस्टर को एक मास्टर प्लान करने के निर्देश किये गये हैं। मास्टर प्लान तैयार हो जाने के उपरांत उसकी संस्तुतियों के आधार पर पदयात्रा मार्गों को विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

रुड़की व मंगलौर मण्डी परिषद् वर्ष 2002–2003 की आय एवं विकास कार्यों का विवरण

11–चौ0 यशवीर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रुड़की व मंगलौर, मंडी परिषद् को वित्तीय वर्ष 2002–2003 में कितनी आय हुई है और यह आय कहाँ–कहाँ खर्च की गई? मंडी परिषद् द्वारा क्या–क्या विकास कार्य कराये गये?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

जी हाँ।

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत मंडी समिति, रुड़की व मंगलौर से मण्डी परिषद् को वित्तीय वर्ष 2002–2003 में क्रमशः रु0 30.21 लाख एवं रु0 29.65 लाख कुल रु0 59.86 लाख की आय हुई। मण्डी परिषद् द्वारा उक्त आय से प्राप्त धनराशि मण्डी समिति, मंगलौर क्षेत्रान्तर्गत में मानकपुर आदमपुर मार्ग से मलस्वा सम्पर्क मार्ग का अवशेष कार्य, औसाढाखुर्द से आसपुर तक सम्पर्क मार्ग के बीच बेगम नदी में रपटे का कार्य, मानकपुर आदरपुर से मलस्वा सम्पर्क मार्ग, हरिद्वार–दिल्ली मार्ग से मुड़िया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य, हरिद्वार–दिल्ली मार्ग से व्यापार मण्डल कन्या डिग्री कालेज तक निर्माण, डूंगरपुर से पुरवाला घाट सम्पर्क मार्ग, तथा घेसीपुर से आमखेड़ी सम्पर्क मार्ग, हैण्ड पम्प की आपूर्ति/स्थापना का कार्य, हाईमास्ट की आपूर्ति का कार्य कराने में व्यय की गयी। रुड़की मण्डी समिति क्षेत्रान्तर्गत उप मण्डी स्थल भगवानपुर में 10 नग सुपर मार्केट दुकानों का निर्माण कार्य, उप मण्डी स्थल भगवानपुर में 10 नग सुपर मार्केट दुकानों में आन्तरिक विद्युतीकरण, चाहरदीवारी को ऊँचा करने सम्बन्धी कार्य, मण्डी के अन्दर निर्मित ब, स श्रेणी की दुकानों के सामने शेडों का कार्य तथा आन्तरिक सडक का निर्माण कार्य कराने में व्यय की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

रुड़की शहर में ट्रान्सपोर्ट नगर बनाये जाने की योजना

12–श्री सुरेश चन्द्र जैन–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के रुड़की शहर में ट्रान्सपोर्ट नगर बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रुड़की शहर के बस स्टैण्ड को स्थानान्तरित किये जाने पर विचार

13–श्री सुरेश चन्द्र जैन–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के रुड़की शहर के बस स्टैण्ड को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तरकाशी के चिकित्साधिकारियों को देहरादून तथा हरिद्वार से सम्बद्ध किये जाने का औचित्य

14–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय दोणी, बलाड़ी (मोटी) तथा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रामगढ़ी के उत्तरकाशी के चिकित्साधिकारियों को क्रमशः देहरादून तथा हरिद्वार में सम्बद्ध किये जाने का क्या औचित्य है?

क्या यह भी सही है कि सीमान्त जनपदों से इस प्रकार मैदानी क्षेत्रों से सम्बद्ध किये गये चिकित्साधिकारियों को सीमान्त भत्ते का भी भुगतान किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

केवल राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय दोणी (उत्तरकाशी) के चिकित्साधिकारी को देहरादून के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, अम्बीवाला में निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ0प्र0 द्वारा राज्य गठन के पूर्व से ही रिडिप्लायमेन्ट के आधार पर सम्बद्ध किया गया है ताकि अम्बीवाला का यह नवसृजित चिकित्सालय संचालित किया जा सके। लेकिन राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बलाड़ी (मोटी) के चिकित्साधिकारी कहीं से सम्बद्ध नहीं हैं बल्कि उक्त चिकित्सालय का चिकित्साधिकारी का पद रिक्त है। इसी प्रकार राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रामगढी, जो कि वास्तव में राजगढी (उत्तरकाशी) है, के चिकित्साधिकारी कहीं अन्यत्र सम्बद्ध नहीं हैं।

जी हाँ।

क्योंकि रिडिप्लायमेन्ट के आधार पर तैनात चिकित्साधिकारी का वेतन उसके मूल तैनाती स्थान से ही आहरित हो रहा है और सीमान्त भत्ता सम्बद्ध किये गये स्थान पर प्राप्त होने वाले मकान किराये भत्ते से कम ही है और इस प्रकार शासन को कोई आर्थिक क्षति नहीं हो रही है।

पर्वतीय मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु योजना

15—श्री मदन कौशिक—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय मार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कोई योजना बनायी है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी हाँ।

1. हिल ड्राइविंग लाइसेंस/हिल फिटनेस परीक्षण नियमों को सख्ती से लागू करना।
2. चालक/परिचालक लाइसेंस उचित प्रशिक्षण के बाद जारी करना।
3. ओवरलोडिंग/ओवरस्पीडिंग पर अंकुश लगाना तथा ऐसे चालक लाइसेंसों के विरुद्ध कार्यवाही करना।
4. पर्वतीय मार्गों व मोड़ों एवं घुमावदार स्थानों पर आवश्यक संकेतों का लगाया जाना।
5. यात्रियों/वाहन चालकों/वाहन स्वामियों द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु अपनाये जाने वाले नियमों का प्रसारित किया जाना।
6. जहाँ परिवहन अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं वहाँ पर चैकिंग का अधिकार परगना मजिस्ट्रेट को दिया जाना।
7. वाहनों के रात्रि संचालन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना।
8. ओवरस्पीडिंग एवं नशे की हालत में वाहन चलाने हेतु पुलिस विभाग को इन्टरसेप्टर उपलब्ध कराया जाना।
9. चालक/परिचालकों को उनके आचरण एवं व्यवहार पर स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना।
10. दृष्टिदोष एवं नींद आने की बीमारी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में चालकों का स्वास्थ्य विभाग से नेत्र परीक्षण कराये जाने हेतु प्रेरित किया जाना।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य रक्षालय संस्थान पटवाडांगर जिला नैनीताल द्वारा निर्मित ए०आर०वी० के विक्रय पर 4% सी०एस०टी० का भुगतान

16—डा० नारायण सिंह जंतवाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि राज्य रक्षालय संस्थान पटवाडांगर जिला नैनीताल द्वारा निर्मित ए०आर०वी० की आपूर्ति उत्तर प्रदेश को रु0 1,32,50,932.00 की विक्रय की गई है?

यदि हाँ, तो क्या उक्त धनराशि में सम्मिलित 4 प्रतिशत सी०एस०टी० का भुगतान कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

राज्य रक्षालय संस्थान पटवाडांगर द्वारा उ०प्र० को आपूर्ति की गयी ए०आर०वी० वैक्सीन रु0 1,32,50,932.00 मूल्य के सापेक्ष रुपये 1,06,72,740.00 की धनराशि का भुगतान प्राप्त हो गया है। प्राप्त भुगतान में से रु0 4,10,870.00 अर्थात् 4 प्रतिशत सी०एस०टी० का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कारगिल शहीदों के परिजनों को गैस एवं कैरोसीन एजेन्सियों का आवंटन

17—श्री बलवीर सिंह नेगी—

क्या सैनिक कल्याण मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में कितने कारगिल शहीदों के परिजनों को गैस एजेन्सी एवं कैरोसीन एजेन्सी आवंटित की गई है?

क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा उक्त एजेन्सियों की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध न करवाये जाने से केन्द्र सरकार द्वारा उक्त परिवारों को एजेन्सियाँ आवंटित नहीं की जा सकी हैं?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

उत्तरांचल प्रदेश के 18 कारगिल शहीदों के परिजनों को गैस एजेन्सी आवंटित की गई हैं। किसी भी कारगिल शहीद के परिजनों द्वारा कैरोसीन एजेन्सी आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया गया।

जी नहीं। उत्तरांचल के 18 कारगिल शहीदों के परिजनों द्वारा गैस एजेन्सी के आवंटन हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में 9 आवेदकों की गैस एजेन्सी विभिन्न स्थानों पर संचालित है। 2 आवेदकों ने निजी कारणों से आवंटन स्वीकार नहीं किया। 4 आवेदकों ने गैस एजेन्सी को पेट्रोल पम्प में परिवर्तित किये जाने हेतु भारत सरकार

पेट्रोलियम मंत्रालय को आवेदन–पत्र प्रेषित किया है तथा शेष 3 आवेदकों ने स्वेच्छा से स्थान परिवर्तन हेतु तेल कम्पनियों से अनुरोध किया है।

टिहरी गढ़वाल के क्यारखी बुग्याल, पर्यटक स्थलों का मास्टर प्लान निजी उद्यमियों के सहयोग से बनाने की योजना

18–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के क्यारखी बुग्याल, सहस्रताल, देवा बुग्याल का निजी उद्यमियों के सहयोग से पर्यटन विकास परिषद् द्वारा मास्टर प्लान तैयार किये जाने की कार्ययोजना शासन के विचाराधीन है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वर्तमान में जनपद टिहरी गढ़वाल के क्यारखी, सहस्रताल, देवा बुग्याल का निजी उद्यमियों के सहयोग से पर्यटन विकास परिषद् द्वारा मास्टर प्लान तैयार किये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक केन्द्र में परिवर्तित किये जाने पर विचार

19–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं।

पहाड़ी क्षेत्र में 80,000 की जनसंख्या पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का मानक निर्धारित है। घाट विकास खण्ड की ग्रामीण जनसंख्या 34,785 है तथा वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। अतः मानकानुसार वर्तमान में उच्चीकरण प्रस्तावित नहीं है।

जनपद रुद्रप्रयाग से तिलवाड़ा में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का प्रस्ताव

20–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग से तिलवाड़ा में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा नामक स्थान में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में संचालित हो रहे पॉलिटेक्निकों को सर्वप्रथम सुदृढ़ किये जाने की कार्यवाही को प्राथमिकता दी जा रही है।

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निधि फार्म पत्थरचट्टा, ऊधमसिंह नगर के कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति

21–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निधि फार्म पत्थरचट्टा, ऊधमसिंह नगर में कितने कर्मचारियों की अपने सेवाकाल के अन्दर असामयिक मृत्यु हुई एवं कितने मृतक आश्रितों को सरकार ने नौकरी दी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

उत्तरांचल सैनिक पुनर्वास संस्था, फार्म पत्थरचट्टा का हस्तान्तरण पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को हुआ। उक्त दिनांक से आज तक किसी भी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु नहीं हुई अतः मृतक आश्रितों को नौकरी दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

गो0 ब0 पन्त कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु पर आश्रितों की नियुक्ति विषयक

22–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गो0ब0 पन्त कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर ऊधमसिंह नगर में कितने कर्मचारियों का अपने सेवाकाल के दौरान असामयिक मृत्यु हुई एवं कितने मृतक आश्रितों को सरकार द्वारा विश्वविद्यालय पन्तनगर में नौकरी दी?

यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

प्रदेश के गठन के उपरान्त 62 कर्मचारियों/अधिकारियों के आश्रितों द्वारा मृतक आश्रित के रूप में नियोजन हेतु अनुरोध किया गया। इन सभी 62 मृतक आश्रितों को नियोजित किया गया है। इनमें से दो मृतक आश्रितों, श्री रोहताश भारद्वाज तथा श्रीमती इंदू चौधरी द्वारा मृतक आश्रित के रूप में नियोजन के उपरान्त सम्बन्धित पद पर योगदान नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रूद्रप्रयाग में स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण का प्रस्ताव

23—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग में किन–किन स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद रूद्रप्रयाग में किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मानकों के अनुसार प्रा० स्वा० केन्द्र अगस्तमुनि तथा जखोली को उच्चीकृत कर दो सामु० स्वा० केन्द्र पूर्व से स्थापित हैं।

24—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

प्रथम मंगल के अतारांकित 56 में स्थानान्तरित

उत्तरांचल में भूमि संरक्षण विभाग की इकाइयाँ

25—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि भूमि संरक्षण विभाग की कितनी इकाइयाँ उत्तरांचल में कार्यरत हैं?

जनपद ऊधमसिंह नगर में क्या कोई इकाई कार्यरत है?

इसका कार्यक्षेत्र क्या है?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

प्रदेश में कृषि विभाग की 23 भूमि संरक्षण इकाइयाँ कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, इनमें से श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री कुंवर प्रणव "चैम्पियन", श्री प्रीतम सिंह और श्री मदन कौशिक की सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूं।

विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत नयार नदी पर पुल सहित 3 कि0मी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अति लोक महत्व एवं संवेदनशील प्रकरण की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करती हूँ।

मान्यवर, आप विज्ञ हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में यातायात की सुविधा न होने के कारण कतिपय क्षेत्र पिछड़ गये हैं, उसी के अन्तर्गत विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत आने वाले 25 गाँव आते हैं, इस क्षेत्र के लिए 2000–01 में नयार नदी में पुल सहित 3 कि0मी0 सड़क स्वीकृत की गई थी, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं की गई है। यातायात विहीन क्षेत्र होने के कारण जनता में सड़क व पुल स्वीकृत होने से जो आशा जगी थी, पूर्ण न होने से जनता में बड़ा आक्रोश है। यातायात सुविधा उपलब्ध न होने के कारण जनता कभी भी आन्दोलित हो सकती है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन करते हुए मैं लोक महत्व की उक्त सूचना पर सदन में चर्चा एवं कार्यवाही की माँग करती हूँ।

डोईवाला विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम तुनवाला के बाँगाखाला तोक में झूलते हुए बिजली के तारों को ठीक करने व पोल बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, डोईवाला विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम सभा तुनवाला के बाँगाखाल तोक में बिजली के तार काफी नीचे झुक गये हैं, हवा चलने पर तार आपस में टकराते हैं, जिससे लगातार खतरा बना रहता है, तार झुकने का कारण विद्युत पोलों में मानक से अधिक दूरी होना बताया गया है। अतः उक्त गाँव में विद्युत तार ठीक करने व पोल बढ़ाने की आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर कार्यवाही की माँग करता हूँ।

उत्तरांचल प्रदेश में संविदा के आधार पर रखे गये भूतपूर्व सैनिकों का नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*कुँवर प्रणव "चैम्पियन"–

मान्यवर, उत्तरांचल प्रदेश में संविदा के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों, पूर्व सैनिक कर्मियों को पुलिस विभाग में भर्ती किया गया था। उक्त पुलिस सेवारत कर्मियों के प्रतिनिधि मण्डल ने माँग–पत्र के माध्यम से उक्त श्रेणी के व्यक्तियों को पुलिस सेवा में नियमित करने हेतु अनुरोध किया है।

उक्त अनुरोध–पत्र पर विचारोपरान्त यह माँग उचित प्रतीत होती है, क्योंकि यह भू0पू0 सैनिक, अनुशासित, कर्मठ एवं ईमानदार होते हैं, जो निष्ठा के साथ कर्तव्य निर्वहन करते हैं। इनमें देश प्रेम की भावना भी सर्वोपरि होती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वैसे इन पूर्व सैनिकों को संविदा पर भर्ती पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा (2) के अन्तर्गत कर, उन्हें नियमित पुलिस कर्मियों के नियमों से बंधित तो किया गया, परन्तु उन्हें, उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

जैसा कि नयी भर्ती के प्रशिक्षण पर सरकार पर भारी व्यय का बोझ पड़ेगा, परन्तु प्रशिक्षित पूर्व सैनिक जो संविदा पर हैं, यदि उन्हें नियमित कर दिया जाय, तो सरकार पर व्यय भार कम हो जायेगा। अतः जनहित में पुलिस विभाग के हितार्थ, पूर्व सैनिकों के अर्जित सम्मान को बनाये रखने हेतु संविधा पर रखे पूर्व सैनिक पुलिस कर्मियों की नियमितीकरण की माँग पर सहानुभूतिपूर्वक पुनः विचार किया जाए। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रकरण पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के संगणकों को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई विभाग उत्तरांचल में वरिष्ठतम संगणक विगत 15–16 वर्षों से सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति की पात्रता रखते हैं। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश व वर्तमान उत्तरांचल शासन को अनुसूचित जाति के संगणकों के पदोन्नति से सम्बन्धित प्रस्ताव विभाग द्वारा वांछित सूचनाओं के साथ शासन को प्रेषित किये गये हैं। किन्तु अनुसूचित जाति के संगणकों की पदोन्नति पूर्ण पात्रता के पश्चात् भी नहीं की जा रही है। जबकि समान परिस्थितियों में अवर अभियन्ताओं की पदोन्नतियाँ 8 या 10 बार की गई हैं। जबकि प्रस्ताव शासन को साथ–साथ प्रेषित किये गये हैं।

इस संवर्ग के प्रति शासन के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को ध्यान में रखकर ही पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश चयन आयोग द्वारा चयन मे विलम्ब के कारण जनहित में महामहिम राज्यपाल महोदय ने शासनादेश संख्या 2446/94/27–सिं0–2/13/85, दिनांक 7–7–94 द्वारा संगणकों को सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति आदेश जारी कर दिये थे। अन्यथा ऐसे सभी संगणक पदोन्नति के पात्र होते हुए भी उसी पद पर सेवानिवृत हो जाते। श्री धर्मराम आर्य विगत 22 वर्षों से व श्री उपेन्द्र 15 वर्षों से तथा श्री प्रेमलाल सभी अनुसूचित जाति के हैं। लगभग 12 वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत है तथा इनके पदोन्नति सम्बन्धी प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्मिक अनुभाग सिंचाई विभाग के पत्रांक 3260/मु0अ0/सिं0वि0/कार्मिक 30–16, दिनांक 29–12–01 द्वारा सचिव, सिंचाई उत्तरांचल शासन को प्रस्तुत किये गये हैं। तत्पश्चात् शासन की आपत्ति का जवाब भी (अधियाचन सम्बन्धी) दे दिया गया है। पदोन्नति की पूर्ण पात्रता रखने के पश्चात् भी पदोन्नति न किये जाने से इन संगणकों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। अतः इन अनुसूचित जाति के पात्र संगणकों को सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति की जाय।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर कार्यवाही कराये जाने की माँग करता हूँ।

राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय गुरुकुल व ऋषिकुल के शिक्षकों के वेतनमान एवं प्रोन्नति की समस्याओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय गुरुकुल व ऋषिकुल शिक्षकों में अनेकों समस्याओं के कारण आज दोनों विद्यालयों में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा डिमांस्ट्रेटर पद को लेक्चरर में परिवर्तित करने के निदेश देने के बाद सरकार ने वांछित कार्यवाही नहीं की है, शासन द्वारा दोनों विद्यालयों में प्रोन्नति भी नहीं की है। चिकित्सा अधिकारी संवर्ग को बिना पदों एवं काडर डिवीजन के 14 वर्षों की सेवा पर सरकार द्वारा पदोन्नत वेतनमान दे दिया गया है। शिक्षक वर्ग इससे वंचित है, जिससे कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का वेतनमान वरिष्ठ शिक्षकों से अधिक हो गया, और न पुनःरीक्षित वेतनमान लागू किया गया है, वहीं ऋषिकुल आयुर्वेद विद्यालय का प्राचार्य अधीक्षक पद का कार्य आई0ए0एस0 अधिकारी देख रहे हैं, इसलिए तकनीकी पद पर वरिष्ठ अध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए, विषय तात्कालिक अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अतः सदन का ध्यानाकर्षण करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत माननीय मातबर सिंह कण्डारी ने चारधाम यात्रा से सम्बन्धित सूचना दी है। मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। दूसरी सूचना माननीय श्री अजय भट्ट जी ने दी है। जो नियम 51, 56, 300 तथा 301 के अन्तर्गत सूचनाओं की पाँच प्रतियाँ लिये जाने से सम्बन्धित है। यहाँ विधान सभा की कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अतः मैं इस सूचना को अस्वीकार कर रहा हूँ। यह नियम 300 की परिधि में नहीं आता।

जनपद ऊधमसिंह नगर में दिनेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संयुक्त चिकित्सालय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से ''जनपद ऊधमसिंह नगर में दिनेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संयुक्त चिकित्सालय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में'' श्री बिरदीपद राय एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत पारकोट–जाख बैनाली मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से ''जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत पारकोट–जाख बैनाली मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री जशोद सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट के जिला पंचायत पैदल मार्ग गंगोलीहाट–चौरपाल–नागधूणा–रैतोला के नागधूणा–चौरपाल भाग की मरम्मत के सम्बन्ध में याचिका

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट के जिला पंचायत पैदल मार्ग गंगोलीहाट–चौरपाल–नागधूणा–रैतोला के नागधूणा–चौरपाल भाग की मरम्मत के सम्बन्ध में" श्री गोपाल दत्त जोशी एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार की आठ पंचायतों को जनपद उत्तरकाशी में मिलाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार की आठ ग्राम पंचायतों को जनपद उत्तरकाशी में मिलाये जाने के सम्बन्ध में" डा० राजेन्द्र प्रसाद जोशी एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद रुद्रप्रयाग में मयाली रणधार मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "जनपद रुद्रप्रयाग में मयाली रणधार मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में" श्री गिरवीर सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा सौराखाल मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "जनपद रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा सौराखाल मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में" श्री गिरवीर सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के अधीन घनसाली मूलगढ़ ठेला गण्डाराखाला मोटर मार्ग के डामरीकरण तथा सुधारीकरण अवशेष निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के अधीन घनसाली–मूलगढ़–ठेला–गण्डाराखाला मोटर मार्ग के

डामरीकरण, सुधारीकरण तथा अवशेष निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रताप सिंह राणा एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर जसपुर पतरामपुर पो0ओ0 बड़ीवाला तहसील काशीपुर फाटो ढेला रामनगर मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "जनपद ऊधमसिंह नगर जसपुर पतरामपुर पो0ओ0 बडीवाला तहसील काशीपुर फाटो ढेला रामनगर मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री आनन्द सिंह अढैलिया एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) विधेयक, 2003

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री ["डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करती हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 जून, 2003 की बैठक में दिनांक 13 जून, 2003 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

13 जून, 2003 / शुक्रवार

1. हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) विधेयक, 2003 का पुरःस्थापन।

2. (क) श्री बलवीर सिंह नेगी द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

"यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में 10 अगस्त, 2002 को दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त 52 नहरों के सुधार व मरम्मत कार्य हेतु

खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध तकनीकी आंगणन के अनुसार सिंचाई विभाग, नरेन्द्रनगर द्वितीय खण्ड को 3.00 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया जाये।"

(ख) श्रीमती विजय बड़थ्वाल द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान सिलोगी या जाखणीखाल में एक महिला पॉलिटेक्निक की स्थापना की जाये।"

(ग) काजी निजामुद्दीन द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

"इस सदन का निश्चित मत है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि योग्य सिंचित भूमि का अभिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।"

(घ) श्री मातबर सिंह कण्डारी द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

"इस सदन का यह सुविचारित मत है कि प्रदेश के रेलमार्गों की न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा के सदस्यों को अनुमन्य रेलवे ट्रैवल कूपन्स के मूल्य के समतुल्य धनराशि पेट्रोल एवं डीजल के व्यय के लिए नगद भुगतान की व्यवस्था कर दी जाये।"

3. नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा :–

(क) श्री मातबर सिंह कण्डारी–"इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश के प्राथमिक पाठशालाओं में मानक के आधार पर अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय तथा प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक अनिवार्य रूप से नियुक्त किये जाये।"

(ख) श्री प्रकाश पन्त–"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए चिकित्सा ढांचे में आमूल परिवर्तन किया जाये।"

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इस सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार,
2. श्री बलबीर सिंह नेगी,
3. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
4. श्री अजय भट्ट तथा श्री मदन कौशिक,
5. श्रीमती विजय बडथ्वाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री मातबर सिंह कण्डारी तथा श्री मदन कौशिक,
6. श्री हरभजन सिंह चीमा,
7. श्री अनिल नौटियाल,
8. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री हरबंस कपूर,
9. श्री प्रकाश पंत

इनमें से नियम 311 के अन्तर्गत शिक्षक बन्धुओं पर लाठी चार्ज की सूचनाओं को मैं नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

1. श्री हरबंस कपूर तथा श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की सूचना को इसी विषय पर नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन ली जायेगी। इसके अतिरिक्त
2. श्री अनिल नौटियाल,
3. श्री प्रीतम सिंह पंवार,
4. श्री बलबीर सिंह नेगी,
5. श्री हरभजन सिंह चीमा

की सूचना को भी ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पहले नियम 311 को ले लिया जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित करके आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं आपके माध्यम से सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। मान्यवर, पूरे प्रदेश भर में कल से आज तक उबाल है। मान्यवर, कल जब हम यहाँ माननीय सदन में सदन के महत्वपूर्ण कार्यवाहियों का निबटारा कर रहे थे तो इस प्रदेश के शिक्षक बन्धुओं ने अपनी एक सूत्रीय माँग को लेकर प्रदर्शन किया और वे शिक्षा निदेशालय के निदेशक के कार्यालय तक गये। मान्यवर, उनकी एक सूत्रीय माँग विनियमितीकरण की थी।

मान्यवर, प्रजातंत्र में अपनी बात को कहने का पूरा हक होता है और इसीलिए प्रजातंत्र में हम लोग यहाँ आज हैं भी और हमारा पूरा देश, जो हमारा भारत देश है यह तो प्रजातंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए अग्रणी माना जाता है और जिस प्रदेश में हम रहते हैं, उत्तरांचल प्रदेश में यहाँ के तमाम लोग प्रजातंत्र की अवधारणा को आज से नहीं आदिकाल के लिए हुए हैं, इसीलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। मान्यवर, जब शिक्षक बन्धु अपनी एक सूत्रीय माँग के लिए जुलूस के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपना ज्ञापन शिक्षा निदेशक को देने जा रहे थे और जब शिक्षा निदेशक के कार्यालय के सामने पहुँचे तो सरकार के इशारे पर इतना जबरदस्त लाठी चार्ज हुआ और उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि 4 लोग आज भी अस्पताल में भर्ती हैं, एक दर्जन लोग घायल हुए हैं, तथा 24 लोगों को छुट्टी दे दी गयी वे भी घायल हो गये हैं। मान्यवर, यदि अपनी बात को शांतिपूर्वक नहीं कहेंगे तो प्रजातंत्र में इसके अलावा तरीका ही क्या है, मान्यवर, और कोई तरीका तो है भी नहीं। जिस तरह से हम यहाँ पर विपक्ष में बैठे हैं तो हम विपक्ष का ईमानदारी से निर्वहन करते हैं और सत्ता पक्ष के लोगों को भी अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए।

मान्यवर, आप जब भी सदन को एडजार्न करते हैं, तो हम सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, यह एक प्रजातंत्र है। जब हमारे शिक्षक–बन्धुओं ने प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया तो उनको चारों तरफ से पुलिस ने घेरा और घेरने के बाद लाठियों से ऐसा पीटा कि वे लहू–लुहान हो गये। मान्यवर, ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ। मान्यवर, यह काण्ड बिना सरकार की शह के हो ही नहीं सकता। यदि सरकार ने आदेश दिए होते कि कोई जुलूस निकल रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको छेड़ा न जाए, मान्यवर, वे आगे बढ़ रहे थे तो रस्सियाँ लगा दी जाती, खम्भे गाड़ दिये जाते, ऐसा न करके सीधे–सीधे लाठियाँ बरसा दी गयी। मान्यवर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस समय मौके पर कोई भी मजिस्ट्रेट था ही नहीं और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के लाठी चार्ज हो ही नहीं सकता। मान्यवर, यद्यपि अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में लिया जाता है। (माननीय सदस्य ने समाचार–पत्र की प्रति सदन में दिखायी) मान्यवर, यह तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरह से उन्हें पीटा गया। मान्यवर, यह मामला बड़ा ही ज्वलन्त है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ

कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाए और इसमें जो भी इनवाल्व था, चाहे कोई हो, चाहे शिक्षा मंत्री हों, हम हों या आप हों, उसको हटाया जाए। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाए।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने इशारा किया "मैं हूँ" चाहे "आप हों" को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय अजय भट्ट द्वारा तथा सदन के अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नियम 311 की सूचना को आपके द्वारा पीठ से उदारतापूर्वक निर्णय लेकर इस विषय की गंभीरता को देखते हुए नियम 56 में ग्राह्यता पर सुनने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि घटना कल दोपहर जिस समय सदन संचालित हो रहा था, उस समय की है और जब शाम को सदन के छूटने के बाद हम दून अस्पताल उन लोगों को देखने गये तो उन घायल आंदोलनकारियों के माध्यम से हमें घटना की पूरी जानकारी हुई। जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि यह घटना निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई साजिश का अंदेशा है और साजिश किस स्तर पर की गयी इसकी जाँच होनी चाहिए क्योंकि गाँधी के इस देश में अहिंसक आंदोलन करने की सबको छूट है अपनी बात रखने की छूट है और मान्यवर, यह संविधान प्रदत्त अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को इस लोकतंत्र में अहिंसा के माध्यम से रख सकता है। लेकिन मान्यवर, जिस तरह से उन आन्दोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया उन्हें लहूलुहान किया गया। यह शर्म की बात है। वे 300–400 शिक्षक बन्धुओं, जो इस प्रदेश की बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ग्रामीण अंचल में सुव्यवस्थित करने का कार्य कर रहे हैं। वे अपनी छोटी सी माँग को लेकर आन्दोलन कर रहे थे जिसको कि कल माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा स्वीकार कर लिये जाने की बात कही, को प्रोटेस्ट कर रहे थे।

मान्यवर, वे विधान सभा की ओर नहीं आए यदि वे विधान भवन के अन्दर प्रवेश कर रहे होते तब उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया होता तो हम नहीं कहते। लेकिन मान्यवर, वे लोग तो निदेशक, कार्यालय पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे और तब उनके ऊपर जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया उनके मार्मिक स्थलों पर चोट पहुँचाने की कोशिश की गयी और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के लाठीचार्ज किया गया। निश्चित रूप से उनको जान से मारने की कोशिश की गयी। मान्यवर, इस उत्तरांचल में जो कोई अपनी बात खुलकर कहने की कोशिश करता है तो उसकी जान सलामत नहीं रह सकती। मान्यवर, यहाँ जान की कोई गारन्टी नहीं है। मान्यवर, यह सब साजिशन किया गया। मान्यवर, उनके ऊपर संगीन अपराध जैसे मुकदमें लगाये गये। संगीन अपराध की धारा 147/332/353 जो संगीन धाराएं हैं, उन पर लगायी गयी। 22 लोगों ने अपनी मेडिकल जाँच करायी है और जिन चोटों का जिक्र है उन 22 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं जिसमें से लगभग 7–8 आन्दोलनकारी दून अस्पताल में जिन्दगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मान्यवर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सदन के सदस्यों का ध्यान बांटने के लिए इस तरह की घटनाएं करायी जा रही हों जिससे माननीय सदस्य विकास आदि के मुद्दे सदन में न

उठाकर पुलिस के दमनात्मक प्रकरण ही सदन में उठाते रहे। यह भी विचार का विषय है और कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इस तरह की कार्यवाही करवा रहे हों जिससे कि सदन न चले और वे अपनी जवाबदेही से बच जाए। मान्यवर, यह एक गंभीर प्रश्न है। इसके अलावा माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रांति दल, किस तरह से उनको पुलिस आक्रोशित करने का प्रयत्न कर रही थी कि जिससे सदन न चले, अभी बतायेंगे।

मान्यवर, यह जाँच का विषय होगा। इसमें महिला प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्रता करने की सूचना प्राप्त हुई है, उनसे ज्यादती करने की सूचना प्राप्त हुई है। जो पुलिस के अधिकारी और कर्मी वहाँ पर थे, उनके व्यवहार की संदिग्धता इससे प्रमाणित होती है। मान्यवर, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना लाठीचार्ज करना गम्भीर विषय है। मैं इस सदन के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि आज सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाये। आज असरकारी दिवस पर मैं आग्रह करूँगा कि आप एक उदाहरण उपस्थित कर दें, निर्देश जारी कर दें कि आज की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाये।

माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा करने के प्रति गम्भीर हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें मैं जिन बिन्दुओं को आपके संज्ञान में लाया हूँ उन पर मजिस्ट्रेट जाँच होनी चाहिए, सरकार की ओर से बयान आना चाहिए, न्यायिक जाँच होनी चाहिए, और जिनकी शह पर यह घटना घटी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इसे साथ ही आन्दोलनकारियों के ऊपर जो मुकदमें लगाये गये हैं, उन्हें भी वापस लिया जाये और जो आन्दोलनकारी अभी जिन्दगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाये। दो आन्दोलनकारी अभी भी गम्भीर अवस्था में हैं, उनको अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे अपने मुखार बिन्दु से कह दें कि शिक्षा बंधुओं को हम नियमित कर रहे हैं ताकि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा–बन्धुओं द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है, वह सुचारू रूप से चल सकें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जो विषय हमारे साथी और हमने मिलकर नियम 311 के अन्तर्गत सदन के सम्मुख रखा इसकी ग्राह्यता पर बोलते हुए सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने बड़ी कृपा करके इस प्रकरण को नियम 311 के अन्तर्गत चाहे न सुना हो, लेकिन नियम 56 के अन्तर्गत सुना और यह कृपा आपने हम सब लोगों के दिलों–दिमाग में जो चिन्ता थी उसको देखते हुए आपने यह निर्णय लिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और यह कहना चाहता हूँ कि यह मामला बहुत ही गम्भीर है। आपने भी इसे महसूस किया होगा और नियम 56 में सुनने का फैसला किया। इसकी ग्राह्यता इससे बढ़ जाती है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। मान्यवर, हमारे साथियों ने घटना का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। इसमें मेरी जानकारी में करीब–करीब 40 आन्दोलनकारियों को गम्भीर चोटें आई हैं, उनको चिकित्सालय में भर्ती करना पड़ा और 7–8 घायल आन्दोलनकारी अभी भी गहन चिकित्सा में हैं। इनका इलाज चल रहा है। मान्यवर, यह फीगर 2 की हो, 4 की हो या 10 की हो या 20 की हो।

यह महत्वपूर्ण और चिन्तनीय विषय नहीं है। आज सरकार की कार्य प्रणाली और सरकार की सोच लोकतांत्रिक दिशा से दूर हटती चली जा रही है। रोजगार की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ भी बेचारों को रोजगार मिला था वह उसे स्थायी करने के लिए माँग कर रहे थे तो सरकार उन्हें पुलिस के द्वारा डन्डे बरसवा रही है। क्या सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि इनके स्थाईकरण के लिए कोई योजना बनाये, यदि सरकार ऐसे ही लोगों पर लाठी डन्डे चलाती रही तो सरकार तो चली ही जायेगी लेकिन लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों की भी हत्या हो जायेगी। अभी सत्ता पक्ष के एक माननीय साथी ने मुझे याद दिलाया था कि भाजपा के शासन काल में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों पर इन्होंने लाठी चलवाई थी, घोड़े दौड़ाये थे, तो मैंने कहा कि जनता ने उन्हें नकार दिया और आज वे विपक्ष में बैठे हैं लेकिन जो वर्तमान सरकार का रवैया है। उससे तो यही लगता है कि इनकी सरकार तो जायेगी ही और ये वहाँ बैठने लायक भी नहीं रहेंगे यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

मान्यवर, जैसा कि माननीय प्रकाश पंत जी ने कहा कि यह कितनी बड़ी साजिश हो सकती है, इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सरकार की ओर से यहाँ पर बैठी हैं मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उनके आन्दोलन में कोई उत्तेजना नहीं थी उनके द्वारा कोई तोड़–फोड़ नहीं की गई किसी सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। वे सिर्फ अपनी बात को आन्दोलन के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहते थे, मनवाना चाहते थे और बिना किसी मजिस्ट्रेट की परमीशन के पुलिस ने उन पर डन्डे बरसा दिये, यह चिन्ता का विषय है क्या हमारी पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है, क्या शासन का प्रशासन का पुलिस पर कोई अंकुश नहीं है। मान्यवर, मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है कल का, कल हमारे दल उत्तराखण्ड क्रान्ति दल का सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिए समस्याओं को लेकर विधान सभा घेराव का कार्यक्रम था। यह ठीक है कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस का अपनी अलग व्यवस्था होती है और इसके लिए हम कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पुलिस ने कुछ दूरी पर बैरीकेडिंग लगा रखी थी तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई भी कार्यकर्ता इस बैरीकेडिंग को पार करने का प्रयास नहीं करेगा। मान्यवर, हमने उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश में भी आन्दोलन किया है। हमारे द्वारा न कोई तोड़–फोड़ की गई न सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। हमने तो आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाया और अपनी छाती पर पुलिस की गोली खाई है। यही नहीं, हमारी बहनों ने अपनी छाती पर गोली खाई है।

मान्यवर, हम तो वह आन्दोलनकारी हैं जो अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं और गोली को छाती पर लगने देते हैं। कल वहाँ पर बैरीकेडिंग थी वह ठीक थी। परन्तु जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे एक पी0ए0सी0 का ट्रक बीच में खड़ा कर दिया गया यदि हमने वहाँ पर जिम्मेदारी के साथ अपनी कार्यकर्ताओं को नहीं समझाया होता तो कार्यकर्ताओं में इतनी उत्तेजना थी कि वे उस ट्रक के शीशे फोड़कर उसमें आग भी लगा सकते थे तो उस समय मैंने वहाँ पर तैनात अधिकारियों से बात की कि किसके आदेश पर यह ट्रक यहाँ पर खड़ा किया गया है। उस पर फिर उस ट्रक को वहाँ से हटाया गया। यदि इन 5–10 मिनट में हम संयम से काम नहीं लेते तो एक बड़ी घटना वहाँ पर हो सकती थी। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे इसकी जाँच करायें इधर बैरीकेडिंग लगी थी और उधर पूरा रास्ता कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा था।

मान्यवर, वहाँ पर आने–जाने का कोई रास्ता नहीं था, गाड़ी एक किनारे पर खड़ी थी, जैसे ही हम आन्दोलनकारी बैरीकेटिंग की तरफ बढ़े, हमारे आगे गाड़ी खड़ी कर दी गयी। गाड़ी खड़ी करने के पीछे मानसिकता यह थी कि उत्तेजित भीड़ गाड़ी में तोड़–फोड़ करे और पुलिस को लाठी चलाने के लिए ग्राउन्ड मिल जाय। मान्यवर, यह एक षडयन्त्र था, हमारी माँग है कि इसकी जाँच करायी जाये। जान–बूझकर शान्त आन्दोलनकारियों को लाठियों से पीट कर लहू–लुहान किया गया है। यदि यह सब सरकार की मर्जी के विरुद्ध हुआ है तो यह सरकार के खिलाफ भी एक साजिश है। सरकार को पुलिस पर कन्ट्रोल रखना चाहिए, सरकार को पुलिस और प्रशासन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. यदि सरकार ने प्रशासन पर कन्ट्रोल नहीं किया तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पायेगी। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारी जनता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। एक ओर तो उनको रोजी–रोटी नहीं मिल पा रही है और दूसरी ओर जब वह सरकार से इसकी माँग करते हैं तो पुलिस उन पर डंडे बरसाने लगती है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि सदन की शेष कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमारे द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को नियम 56 के अन्तर्गत सुनने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय काशी सिंह ऐरी जी की बातों से अपने को पूर्ण रूप से सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, कल लगभग एक बजे शिक्षा–बन्धु शान्तिपूर्ण तरीके से एक रैली लेकर शिक्षा निदेशक के कार्यालय में जा रहे थे। जहाँ पर शिक्षा निदेशक कार्यालय और सचिवालय के बीच संकरी गली है, वहाँ पर दोनों ओर से घेर कर पुलिस द्वारा उन शिक्षा बन्धुओं को लाठियों से पीट कर लहू–लुहान किया गया। जिसमें 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन घायल व्यक्तियों में एक श्री प्रेम सिंह मावड़ी मेरे क्षेत्र का है। मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वह बहुत शरीफ व्यक्ति है। पुलिस उसको बुरी तरह से पीटने के बाद अपने साथ ले जा रही थी, जब जनता ने इसका विरोध किया तो काफी देर बाद उसको छोड़ा गया।

आज सुबह से मेरे पास मेरे क्षेत्र के बहुत से लोगों के फोन आये हैं। जनता आक्रोशित है, उसका कहना है कि हमने आपको चुनकर विधान सभा में इसलिए नहीं भेजा है कि निर्दोष जनता को पीट–पीट कर लहू–लुहान किया जाय। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आन्दोलन किया था, तब श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी को पीट–पीट कर लहू–लुहान कर दिया गया था। मान्यवर, अगर सरकार यह सोचती है कि इस प्रकार दमनात्मक कार्यवाही करके जनता में अपनी पब्लिसिटी करवा सकती है तो उसका सोचना गलत है। मान्यवर, हमारा यह मानना था कि उत्तरांचल राज्य हमारा अपना है, यहाँ की पुलिस भी अपनी होगी और वह यहाँ के आम आदमी की तरह ही आचरण करेगी। हमारी अपनी सरकार है, उसका अपना एक सिस्टम होगा और एक सुसंस्कृत भाषा होगी लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको देख कर यही लगता है कि सरकार जनता के हित के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहती है।

मान्यवर, हम विकास पुरुष माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का बहुत सम्मान करते हैं। किन्तु किसी भी घटना का मूल्यांकन पक्ष–प्रतिपक्ष का विचार न कर निष्पक्षतापूर्वक जनता के हित में करना चाहिए।

मान्यवर, उनको न्याय मिले इस दृष्टि से भी हम इस संदेश को देना चाहते हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं और जनता की समस्याओं का निदान करना चाहते हैं। श्री ऐरी जी ने एक बात कही कि हमने इस राज्य को पाने के लिए बलिदान दिया है उसके बाद यह राज्य मिला है, अगर इस राज्य में भी ऐसे कार्य होते गये तो यह राज्य अराजक राज्य में गिना जायेगा। मान्यवर, जो घायल हुए हैं उनका इलाज दून अस्पताल में हुए उसके बाद उनको छुट्टी दे दी गई, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपना इलाज प्राइवेट में कराया। जिस तरीके से गली में उन्हें दौड़ा–दौड़ा कर पीटा गया, यह किसी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है इससे पूरे राज्य में बदनामी हुई है। मान्यवर, यह राज्य रोजगार देने के लिए और ऐसे शिक्षकों को नियमित करने के लिए यह राज्य बना है। उनको रोजगार लेने का अधिकार है, उनका अधिकार है कि उन्हें नियमित करें। सरकार जब भी चाहे उनका सिर तोड़ दे, लाठियाँ चलाये, जिसने भी यह आदेश दिया अगर नहीं दिया तो इसकी निश्चित रूप से न्यायिक जाँच करायी जानी चाहिए, इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी का वक्तव्य आना चाहिए और इस पर सदन में चर्चा करायी जाय।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, यह बहुत दुखद घटना है जिस प्रकार से शिक्षा बन्धुओं को मारा गया और पीटा गया, इसका प्रदेश की जनता में अच्छा संदेश नहीं गया। शिक्षा मंत्री जी ने कहा हमने उनसे वार्ता की अगर आपकी वार्ता संतोषजनक होती तो ऐसा नहीं होता। क्या प्रदर्शन करना प्रजातंत्र में गुनाह है। क्या शान्तिपूर्ण ढंग से अपनी बात किसी अधिकारी से या मंत्री से कहने के लिए वे सक्षम नहीं हैं। इन शिक्षा बन्धुओं ने कोई अशान्तिपूर्ण वातावरण पैदा नहीं किया। वह शन्तिपूर्ण ढंग से अपनी बात निदेशक से कहने जा रहे थे, उन्होंने किसी प्रकार कानून का उल्लंघन नहीं किया।

उत्तरांचल जैसे शान्तिपूर्ण प्रदेश में इस प्रकार लाठी चार्ज होता है तो यह अशोभनीय है। मैं इस मामले पर तीन बातें कहना चाहता हूँ, इन शिक्षा बन्धुओं को नियमित करना चाहिए और उन पर जो संगीन धारायें लगायी गई हैं उनको हटाना चाहिए उनको निःशुल्क चिकित्सा देनी चाहिए और इस प्रकरण की न्यायिक जाँच हो जो दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार लाठी के बल पर यहाँ की जनता को भयभीत नहीं कर सकती, उत्तरांचल वीरों की भूमि है संघर्ष हमारा नारा है, जंग लड़ने के लिए हम सदैव तैयार रहते हैं। इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करायी जाय और इन शिक्षा बन्धुओं के साथ न्याय करने की कृपा करें।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सरकार की जो लोकतांत्रिक दृष्टि है उससे जुड़ा हुआ यह बहुत ही गम्भीर मामला है। आपने नियम 56 के अन्तर्गत

इस विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जब हमारे देश के बड़े राजनेता दुनिया के किसी कोने में जाते है तो उनका वक्तव्य यहीं से शुरू होता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से ताल्लुक रखते हैं। इस बात को बड़े फक्र के साथ कहा जाता है। आजादी की लड़ाई के दौर में हमने जिस लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया उसमें सबसे खास बात यही थी कि अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए हम स्वतंत्र थे, चाहे हमसे कोई इत्तफाक रखता हो या न रखता हो। उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद यहाँ की जनता ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत अपनी आवाज को उठाया, किन्तु सत्ता के मद से चूर सरकार ने उन पर लाठियाँ बरसाई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक नकारात्मक रवैया है।

शिक्षा बन्धुओं द्वारा यह प्रदर्शन एका-एक नहीं हुआ। शिक्षा बन्धु अपनी बात कहना चाहते थे। पिछली बार भी यहाँ पर उनके सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। माननीय मंत्री जी ने अपनी ओर से कुछ घोषणायें भी की थी, उनका स्वागत भी किया गया। लेकिन शिक्षा बन्धुओं की जो माँगे थी, वे पूरी नहीं हुई। उनकी माँगों से हम सहमत हैं। अगर कल वहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी होता तो वह प्रदर्शनकारियों को समझाता कि आपके प्रतिनिधि मण्डल को माननीय मंत्री जी से मिलवाया जायेगा इसके विपरीत उन पर लाठियाँ भांजी गई। कुछ नौजवानों को मैं भी जानता हूँ जिन्हें चोट आई हैं। वे बहुत ही अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। उनका आचरण भी अच्छा है। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद हमने यहाँ पर मित्र पुलिस की कल्पना की थी। यह पर्यटन प्रदेश भी है। यहाँ की पुलिस का एक लम्बा दौर अंग्रेजों के समय में रहा है जिसने दहशत फैलाने का काम किया था। हम उसी पुलिस व्यवस्था को मित्र पुलिस के रूप में देखना चाहते थे। इसकी अवधारणा, कल्पना भी जनता के मन में थी। सोचा था कि यहाँ के लोग थाने में जाकर अपनी बात को तथा अपने प्रदर्शन को शान्तिपूर्वक अभिव्यक्त करेंगे।

मान्यवर, डब्लू0टी0ओ0 तथा अन्य दुनिया के देशों में जब कान्फ्रेंस होती है तो वहाँ के लोग भी उस जगह पर प्रदर्शन करते हैं इसको हम लोग टेलीविजन के माध्यम से भी देखते हैं। शिक्षित बन्धुओं पर इस तरह से लाठियाँ भाँजी गई। क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। यह सरकार अगर संवेदनशील होती तो उनकी समस्याओं पर अवश्य गौर करती। उत्तराखण्ड की जनता अब यह महसूस करती है कि जो यहाँ के विधायक हैं मंत्री हैं वे आराम से एअरकंडीशन कमरों में रह रहे हैं। वे हमारी समस्याओं के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं हैं। यहाँ के नौजवानों ने राज्य आंदोलन में जो योगदान दिया उसे भुला दिया गया है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं अनुरोध करूँगा कि इस पूरे प्रकरण की जाँच कराकर जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। जिन लोगों की वजह से यह घटना घटी उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए। यह मामला लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है।

श्री बलवीर सिंह नेगी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, कल की घटना की जितना निंदा की जाय वह कम ही है। शिक्षा बन्धु शान्तिपूर्ण तरीके से, संसदीय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे थे और उन पर जिस तरीके

से बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया वह निंदनीय है। ताकत के बल पर शिक्षा बन्धुओं के धरना प्रदर्शन को दबाने की जो साजिश की गयी है, यह लोकतंत्र के लिए लज्जाजनक है। पूरे प्रदेश के अन्दर बेरोजगार नौजवान अपनी रोजी-रोटी की लड़ाई के लिए, अपनी बुनियादी माँग के लिए सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यदि यही परम्परा रही, तो मैं समझता हूँ यह लोकतंत्र की हत्या होगी। इसलिए मान्यवर, मैं कल की घटना की निंदा करता हूँ और यह कहना चाहता हूँ यदि इसी प्रकार की परम्परा रही, इसी प्रकार की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया तो आने वाले भविष्य में उत्तराखण्ड में लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है।

मान्यवर, जिसके लिए प्रदेश के नौजवानों, माताओं, बहिनों ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी आज यदि वे अपनी बुनियादी समस्याओं के लिए प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं और उनके इस प्रदर्शन पर कातिलाना हमला करने की साजिश की गयी, तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए और प्रदेश की सरकार के लिए लज्जाजनक बात है। इस शेर के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ :-

"नवे दे कत्ल पर जब ईद होती है, मरने वालों की,

हलाले चाँद क्या देखें, देखते ही तलवार देखेंगे।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं नियम 56 के अन्तर्गत इसकी ग्राह्यता पर चर्चा करने की माँग करता हूँ।

श्री हरबंस कपूर-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, कल जिस तरीके से शिक्षा बन्धुओं पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी-चार्ज किया है, यह अत्यन्त निंदनीय है।

मान्यवर, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक का अपना संवैधानिक अधिकार है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूँगा कि यह प्रदर्शन मात्र कल के प्रदर्शन के रूप में ही हमारे सामने नहीं आया है, इससे पूर्व भी शिक्षा बंधुओं ने अनशन के माध्यम से, धरने के माध्यम से अपनी बात कहनी चाही। परन्तु जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो प्रदर्शन के माध्यम से और ज्ञापन देने के लिए जब यह शिक्षा बन्धु निदेशक कार्यालय तक गये और जिस प्रकार से उनके प्रतिनिधि मण्डल को सम्बन्धित अधिकारी से न मिलवाकर, उनसे बातचीत न करवा कर और लाठी का सहारा लेकर उनके ऊपर जो लाठी बरसाई गई, तो मैं समझता हूँ कि यह लोकतंत्र की हत्या के रूप में यह प्रकरण जाना जायेगा।

मान्यवर, इस नवोदित राज्य में जब आवाज को दबाने का प्रयास किया जायेगा, जब किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा तो आने वाले समय में कहीं ऐसा न हो कि हमारा यह शान्तिपूर्ण राज्य बिहार और अन्य ऐसे राज्यों की श्रेणी में आ जाये जहाँ पर कानून व्यवस्था अपने आप में एक समस्या है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस घटना का संज्ञान लेते हुए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को ग्राह्य करते हुए चर्चा कराए तथा सरकार को निर्देशित

करें कि वह अपने इस कुकृत्य के लिए आम जनता से माफी माँगें, शिक्षकों से माँफी माँगें और साथ ही इस बात को स्पष्ट करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्थायें कायम रखी जायेंगी और किसी भी प्रकार से जो भी व्यक्ति अपनी बात कहना चाहेगा तो उसे कहने का मौका दिया जायेगा।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मान्यवर, अभी तक माननीय सदस्यों ने जो बात यहाँ पर रखी है उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि शिक्षा बन्धुओं की नियुक्ति ऐसे समय पर की गई थी जब उत्तरांचल के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों का घोर अभाव था और जब उन्होंने अपने विनियमितीकरण के लिए प्रदर्शन किया तो उन पर लाठी चार्ज किया गया। मान्यवर, उनको उत्तरांचल की शिक्षा के सुधार के लिए रखा है और जब वे अपनी माँग के लिए शिक्षा निदेशालय जा रहे थे तो बिना पूर्व सूचना के उन पर लाठी चार्ज कर दिया। मान्यवर, लाठी चार्ज से पहले पानी का छिड़काव किया जाता है, मजिस्ट्रेट के आदेश होते हैं; पर न पानी का छिड़काव किया गया और न मजिस्ट्रेट के आदेश हैं। मान्यवर, उनसे वैसा व्यवहार किया गया जैसा व्यवहार अपराधियों के साथ किया जाता है।

मान्यवर, उनको घेर–घेर कर पीटा गया और इससे अधिक संवेदनशील विषय तब हो जाता है जब वे पुलिस घेरे से बाहर भागना चाहते थे तो उनको गलियों में दौड़ा–दौड़ा कर मारा जाता है। मान्यवर, यह पहला अवसर नहीं है, इसके पहले जब 13 दिसम्बर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधान सभा की तरफ कूच कर रहे थे तो उस समय भी लाठी चार्ज हुआ था और मैं स्वयं भी घायल हुआ था। मान्यवर, ऐसा लगता है कि सरकार का प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं रह गया है। मान्यवर, उस समय जब मैं घायल हुआ था तो डॉ0 मैखुरी ने मुझसे कहा कि आप तुरन्त अस्पताल जाइये, चोट गम्भीर है और तब एक माननीय मंत्री जी ने विधान सभा लॉबी में हमारी पट्टी खुलवाने की बात कही और कहा कि यह झूठ बोल रहे हैं।

मान्यवर, यह सब कुछ बड़ा ही शर्मनाक है और आज यह दूसरी घटना हुई है और सरकार ने अभी तक इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया है, सरकार के किसी मुखिया ने, सरकार के किसी मंत्री ने अब तक कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई न कोई इसकी जिम्मेदारी ले, शिक्षा मंत्री लें, संसदीय कार्य मंत्री जी लें कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन जो आन्दोलन शिक्षा बन्धुओं द्वारा किया जा रहा था, उन मूल्यों की ओर और उनके अधिकारों की ओर उनके संरक्षण की माँग करते हुए आज के सारे कार्यों को स्थगित कर मैं इस पर चर्चा की माँग करता हूँ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री [''डॉ0'' (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, शिक्षा–बन्धु, शिक्षा–मित्र काफी दिनों से विधान सभा में, मेरी राय में सभी से मिल रहे होंगे, मुझसे 5–6 बार मिलने आए और 11 तारीख की प्रातः लगभग 10 बजे मुझसे मिलने मेरे आवास पर आए। उन्होंने मुझसे एक माँग की कि हमें मुख्यमंत्री जी से

मिलवा दें, मैंने कहा कि 15 तारीख तक तो नहीं, 16 तारीख को मैं माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं चलकर मिलवा दूँगी, यदि आपके मन में कोई भाव है कि उनसे मिलकर कुछ सन्तोष हो सकता है। उसी दिन शाम को लगभग 6:30 बजे ये सब लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलने गये और उन्हीं से सबसे ज्यादा मिलते रहे और उसी मिलने के क्रम में उनका 500 रु0 भत्ता बढ़ा दिया गया, 10 दिन का अवकाश दिया गया तथा उनका समय भी बढ़ा दिया गया और शिक्षा मंत्री जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप रोजगार में रहें, इसके बारे में हम रास्ता निकाल रहे हैं और एकदम से आज हम आपको नहीं बता सकते। जैसे आपकी सेवाएं जा रही थी, पिछली सरकार ने आपको नियुक्त किया और जब हम लोग आए तो आपको कान्टीन्यू किया गया। उत्तरांचल में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। जो मुझसे मिलने आये ये नौजवान हैं, ये फिजिक्स और मैथ्स के छात्र थे, ये एम0–एससी0 पास थे, वे बुद्धिमान थे।

मान्यवर, उनकी आयु में उग्रता थी। हमारे कार्यालय में तो वे किसी भी समय प्रवेश कर जाते। मेरा शिक्षा से जुड़े होने के नाते वे हमसे काफी अपेक्षा करते। हमारी उनसे बात हो गयी थी उन्होंने कहा कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवा दें। हमने कहा कि 16 तारीख को मैं स्वयं साथ चलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करवा दूँगी यह बात तय हो गयी थी लेकिन किन परिस्थितियों में मुझसे मिलने के बाद, शिक्षा मंत्री जी से मिलने के बाद वे इस कदर बैचेन हुए, उनमें उग्रता आना स्वाभाविक था। उनके साथ हमारी सहानुभूति है और आप लोगों की भी है। हमारी उनकी बात हो गयी थी। उन्होंने किन परिस्थितियों में ऐसा किया इसकी जानकारी हमें नहीं है। उन्हें लगा होगा कभी–कभी रोजगर की बैचेनी और सदन का लाभ उठाने के मोह में ऐसा होता है।

हमारे पास जो गृह विभाग के माध्यम से सूचना दी गयी। उसमें 12–06–2003 को उत्तरांचल शिक्षा–बन्धु महासंघ द्वारा शिक्षा निदेशालय कार्यालय में प्रदर्शन/तालाबन्दी किये जाने के आशय से शिक्षा बन्धुओं का एक जुलूस गाँधी पार्क से चलकर लगभग 12.30 बजे शिक्षा निदेशक कार्यालय पहुँचा तथा प्रदर्शनकारी अभद्र नारेबाजी करने लगे। जुलूस में मौजूद शिक्षा बन्धु उत्तेजित होकर जबरदस्ती मुख्य गेट में प्रवेश कर शिक्षा निदेशक कार्यालय में कब्जा करने एवं तालाबन्दी करने की चेष्टा करने लगे। शिक्षा–बन्धुओं के उपरोक्त जुलूस के शिक्षा कार्यालय पहुँचकर प्रदर्शन एवं नारेबाजी करने की पूर्व सूचना होने पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, देहरादून आवश्यक पुलिस बल के साथ पहले से ही शिक्षा निदेशालय पर शाँति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उपस्थित थे। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा श्री भुवन चन्द्र पंत एवं शिक्षा–बन्धु महासंघ के अन्य पदाधिकारियों को समझाने का प्रयास कर शांति व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया गया, किन्तु प्रदर्शनकारी नहीं माने और कहने लगे कि उनकी माँगें पूरी नहीं हुई इसलिए वे कार्यालय में तोड़–फोड़ करेंगे एवं तालाबन्दी करेंगे। पुलिस बल की मौजूदगी के कारण आन्दोलनकारी शिक्षा निदेशालय में न घुस पाने से आक्रोशित हो गये और उपस्थित पुलिस बल से अन्दर जाने के लिए धक्का–मुक्की करने लगे। आन्दोलनकारियों को उग्र होते देख और पुलिस के साथ मारपीट करने लगे। जिससे कॉस्टेबल 1040 ना0पु0 ऋषिपाल सिंह थाना कोतवाली को चोटें आई। शांति व्यवस्था बनाये रखने की नीयत से पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया जिससे आन्दोलनकारियों में भगदड़ मच गई और वे एक दूसरे पर गिरते–पड़ते भागने लगे जिसके कारण 15–20 आन्दोलनकारियों को चोटें आई।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी विभाग की लिखी सूचना को पढ़ रही हैं।

"डॉ" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो घटना घटी है उस पर विभाग की सूचना को मैंने सदन के सामने रखा है।

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी से वे मिले यह मुझे बाद में पता चला। फिर उन्होंने जो प्रदर्शन किया उसमें गृह विभाग ने जो जानकारी दी उसके अनुसार वे शिक्षा निदेशक के गेट तक पहुँच गये, वे गेट में ताला डालना चाहते थे, गेट को तोड़ देना चाहते थे। मान्यवर, यह उम्र का तकाजा है (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि वे गेट पर ताला डालना चाहते थे, क्या उनके पास ताला था, क्या माननीय मंत्री जी वहाँ पर मौजूद थी, क्या उन्होंने ताला देखा? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

"डॉ" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्या आप वहाँ पर थे। मुझे जो सूचना विभाग द्वारा दी गई उसे मैं बता रही हूँ। मान्यवर, वह तारीख भी मुझे याद है जब महिलाओं की साड़ियाँ फाड़कर उन्हें करेन्ट लगाकर दौड़ाया गया था। यही पदम सिंह उस समय भी अध्यक्ष थे। मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। आप मुझे उपदेश न दें। आप हाथ टूटने की बात कर रहे हैं। हाथ की हड्डी तब एक महिला की भी टूटी थी और उसे अस्पताल में ठूँस दिया गया था। मान्यवर, लाठी चार्ज की घटना की हम प्रशंसा नहीं करते हैं। यह परिस्थिति नहीं आनी चाहिए थी। हम इससे प्रसन्न नहीं है। क्या हम किसी नौजवान के सिर पर टाँके लगते देखकर प्रसन्न होंगे। आप आन्दोलनकारियों के प्रति संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। मान्यवर, यह श्री नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार है। यह आपसे कहीं अधिक संवेदनशील है। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आई, इतनी उग्रता क्यों हुई, यह तो जाँच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मैंने शिक्षा बन्धुओं को 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का वायदा किया था। इसके बाद वे कौन सी परिस्थितियाँ थी, किसने उन्हें आन्दोलन के लिए प्रेरित किया। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मान्यवर, मैंने पूर्व मंत्रियों को बैरीकेडिंग पार करते हुए भी देखा है। किन परिस्थितियों में लाठी चार्ज हुआ उनको चोट लगी तो हम उसके प्रति चिन्तित हैं।

उसके लिए सरकार संवेदनशील है, हम लोग ट्रेड यूनियन की नीति रीति से परिचित हैं और जब यह सब होता है तो उससे बहुत कष्ट होता है, इसलिए सरकार की ओर से इसकी मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिये जाते हैं।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई)

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया और माननीय मंत्री जी ने जिस ढंग से उत्तर दिया। मान्यवर, जब कभी लाठीचार्ज किया जाता है तो पहले मजिस्ट्रेट की

अनुमति ली जाती है, तो फिर माननीय मंत्री जी ये बतायें कि किस मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह लाठीचार्ज हुआ है। माननीय मंत्री जी बता रही थी कि वे बड़ी संवेदनशील हैं वे यदि शिक्षा विभाग के लिए संवेदनशील होती तो शिक्षा को छोड़कर पी0डब्ल्यू0डी0 में नहीं आती। शिक्षा में रहकर उनके उत्थान का कार्य करतीं।

''डॉ'' (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वह अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है।

(व्यवधान)

यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है उन्होंने जो विभाग मुझे दिये मैं उनको देख रही हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, शिक्षा के प्रति जो इनका अनुराग है कि शिक्षा बन्धुओं पर लाठीचार्ज करा रहे हैं। आप संवेदनशील थीं तो कल से लेकर आज तक कितनी बार आप लोगों ने उन पर चिन्ता जाहिर की। कितनी बार आपके शिक्षा मंत्री उनके घावों पर मलहम लगाने गये ?

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, जब वे शाम को हमारे पास आये थे तो वे पूर्णतया संतुष्ट होकर चले गये थे। परन्तु इन लोगों को पता नहीं किस–किसने बरगलाया कि वे कल मार खाने क्यों आ गये?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यदि ये उन्हें संतुष्ट कर देते तो वे फिर कल क्यों सड़कों पर आ जाते। मान्यवर, सरकार कहती है कि वह बहुत संवेदनशील है। सरकार इस पर न्यायिक जाँच कराये और यदि वह यह नहीं करती है तो हम यह मानकर चलेंगे कि इस सरकार को सिर्फ लाठी–डन्डे के बल पर राज करना आता है। आप मुझे याद दिला रही हैं पिछली घटनाओं की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 13 तारीख दिसम्बर को महिलाओं के साथ क्या–क्या हुआ कैसे उन्हें मारा–पीटा गया, मैं इस घटना के विरोध में अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य शेम–शेम कहते हुए मा0 नेता प्रतिपक्ष के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

श्री अजय भट्ट, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री हरबंस कपूर, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री प्रकाश पंत, श्री बलबीर सिंह नेगी, एवं श्री मातबर सिंह कण्डारी जी तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं 3:00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

सदन की कार्यवाही पुनः अपरान्ह 3.00 बजे से श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, पेयजल जैसे संवेदनशील मामले पर माननीय मंत्री जी बड़ी–बड़ी बातें इस सदन मे करते रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान चमोली जनपद के विकास खण्ड गैरसैंण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, यहाँ पर बहुत से गाँव ऐसे हैं, जो कुमायूँ और गढ़वाल की सीमा में आते हैं। इन गाँवों मे आज तक पेयजल की कोई सुविधा नहीं हैं। बार–बार आग्रह करने के बाद भी कभी यह जवाब मिलता है कि यह अल्मोड़ा जनपद के अन्दर है और कभी यह जवाब मिलता है कि यह चमोली जनपद के अन्दर आता है। मान्यवर, नागचुलाखाल, जो कि पौड़ी जनपद के अन्तर्गत आता है, में पेयजल की बड़ी भारी समस्या बनी हुई है। बार–बार आग्रह करने के बाद भी आज तक वहाँ पर पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण विकास खण्ड के ग्राम सभा सिलंगा, कुनीगाड़, कोठा, कल्याणा, गोगना, भण्डारीखोड़, गैरसैण, पाण्डुवाखाल, नगली, दमकट एवं अल्मोड़ा जनपद की ग्राम सभा सिमलखेत की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, इन गाँवों में आज तक पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पायी है। यहाँ की जनता पेयजल के लिए बार–बार आन्दोलन करती रही है। और मैं भी इस माननीय सदन में आपके माध्यम से कई बार माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर चुका हूँ किन्तु अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मान्यवर, गैरसैण, जहाँ पर समय–समय पर विभिन्न आन्दोलन होते रहे हैं, में पिछले साल एक करोड़ रुपये की पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी, इस योजना पर अभी भी कार्य चल रहा है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी आज गैरसैण में पानी के लिए जनता में त्राहि–त्राहि मची हुई है।

मान्यवर, जो एक करोड़ की योजना है जिस पर कार्य प्रारम्भ है उसमें मुझे अधिकारियों के द्वारा अवगत कराया कि जहाँ से पानी लेना था वह स्रोत सूख चुका है। माननीय अध्यक्ष जी जिस योजना पर एक करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है वह किस प्रकार की योजना है कि उसका स्रोत ही सूख गया। यह संवेदनशील मामला है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि गैरसैंण के अन्तर्गत आधे से अधिक गाँवों में पेयजल का संकट है। मान्यवर, एक गाँव ऐसा है जहाँ पर पिछले वर्ष कार्य किया गया आज वहाँ पर पानी के लिए त्राहि–त्राहि मची हुई है। मान्यवर, ऐसे गाँवों को सरकार अतिशीघ्र पेयजल उपलब्ध करायें। गौचर जहाँ पर हवाई पट्टी का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जहाँ पर हमने बिजली और पानी के सम्बन्ध में आन्दोलन किया था, वहाँ पर हम पर मुकदमें दायर हुए। वहाँ पर आज पानी की भारी समस्या है, वहाँ पर पानी के लिए त्राहि–त्राहि मची हुई है, वहाँ डेढ़ करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है लेकिन आज तक वहाँ पर कार्य नहीं हुआ है।

मान्यवर, आज पेयजल की समस्या पूरे उत्तरांचल में है, यह संवेदनशील मामला होते हुए भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया। हमेशा सरकार की तरफ से कहा जाता है कि कहीं पर भी पेयजल की समस्या नहीं है। अगर आँकड़े इकट्ठे किये जाय तो अधिकांश गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पेयजल की समस्या बनी हुई है। मेरा कहना है कि पहाड़ों में ऐसे अधिकारियों को भेजा जाय जो कर्मठ और ईमानदार हों। पहाड़ों में स्रोत इतने दूर होते हैं कि जहाँ पर कि अधिकारी नहीं जाते हैं, कागजों पर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है, जब कार्य प्रारम्भ किया जाता है तो स्रोत सूख जाते हैं। वहाँ पर इसलिए ऐसे कर्मठ अधिकारियों को भेजा जाये जो चलने में भी सक्षम हों। मुझे सूचना प्राप्त हुई कि उत्तरांचल में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की गई है, उसके ऊपर भी लोगों का सेवा विस्तार किया जा रहा है, वह शायद नहीं होना चाहिए। आज आवश्यकता हमें ऐसे लोगों की है जो इन योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन करायें। मेरा आग्रह है कि पेयजल का मामला बहुत ही संवेदनशील है, इस मसले पर सदन का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित करना चाहता हूँ और इस पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करायी जाये।

*पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जिन अधिकांश गाँवों का जिक्र नियम 56 के अन्तर्गत किया और चिन्ता जाहिर की, उन तमाम गाँवों में अधिकांश योजनायें ग्राम पंचायतों के पास हैं। सम्पूर्ण उत्तरांचल में लगभग 2600 योजनायें ऐसी हैं जो ग्राम पंचायतों के अधीन हैं। उन पर सरकार की सीधे–सीधे जिम्मेदारी तो नहीं बनती है। क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है, उन सभी गाँवों को पेयजल उपलब्ध कराना शासन की जिम्मेदारी भी है। कई सालों के बाद हमारी सरकार ने इन गाँवों में पेयजल उपलब्ध कराने की एक योजना बनाई है। मान्यवर, इन 2600 योजनाओं में से 80 प्रतिशत योजनायें लगभग बंद हैं और 20 प्रतिशत योजनायें ग्रामवासियों के सहयोग संचालित की जा रही हैं। इसके लिए हमने विश्व बैंक से सहायता माँगी है। प्रदेश में स्वजल और स्वजल धारा योजनायें चलाई गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत 2600 गाँवों को लिया गया है। पिछले 7–8 सालों से इन गाँवों पर कोई गौर नहीं किया गया। हमारी सरकार ने इस पर गौर किया है।

माननीय सदस्य ने अवगत कराया कि कार्यरत कर्मचारी वहाँ पर नहीं रहते हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि एक अवर अभियन्ता लगभग 150 योजनाओं को देख रहा है। वह बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपने कार्यों को कर रहा है। ऐसी स्थिति में पेयजल उपलब्ध कराना भी एक चुनौती है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमने जल संस्थान और जल निगम का ढाँचा तैयार कर लिया है। जिन योजनाओं के लिए अब हमें आवश्यकता होगी उनमें जे0ई0 तथा ए0ई0 की नियुक्ति की जायेगी। पूर्व में जहाँ हमारे पास मात्र एक हजार योजनायें थी वहीं इस वर्ष लगभग 6000 योजनायें हैं। अर्थात 500 प्रतिशत योजनाओं की वृद्धि हुई है। माननीय सदस्य ने जिन गाँवों का जिक्र किया उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि स्रोतों पर इन गर्मियों में जल की मात्रा कम हो गई है। हमारी पूरी कोशिश की है कि उन गाँवों में पानी शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। माननीय सदस्य ने एक गाँव दमकट का जिक्र किया उसका वास्तविक नाम दरमाट है जो अल्मोड़ा में है। इसके बारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में अधिकारियों से जानकारी माँगी गई तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर जल स्रोत सूख गया है। जल स्रोत के संवर्धन की बृहद योजना भी सरकार द्वारा बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल इस सम्बन्ध में बात भी कही थी इसमें आपका सहयोग भी अपेक्षित है। माननीय कण्डारी जी से यह अनुरोध जरूर करूँगा कि धीरे-धीरे प्रगति होगी। जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन विस्तार से जल स्रोतों के संवर्धन के बारे में भी जानकारी दूँगा।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि गैरसैंण गाँव के लिए जो एक करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी उस पर कोई पानी नहीं चल रहा है, क्या माननीय मंत्री जी इस पर जाँच करायेंगे तथा क्या कर्मचारियों की सेवा विस्तार करने की कोई योजना है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को सदन के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी जो नई योजनायें शुरू की जा रही हैं, इन पर 10 साल तक निरंतर पानी देने की जिम्मेदारी सक्षम अधिकारियों की है। जहाँ तक सेवा विस्तार की बात है ऐसी व्यवस्था जल संस्थान में अभी नहीं की है, इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

श्री अनिल नौटियाल तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, टिहरी बाँध का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है और पुराने टिहरी शहर में अब भी लगभग 200 परिवार वहीं पर निवास कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक पुनर्वासित नहीं किया गया है। वर्तमान में झील का जल स्तर 640 मीटर तक पहुँच गया है। गत वर्ष जल स्तर 636 मीटर पर था। वर्षात के कारण इसका जल स्तर 648 मीटर तक पहुँच गया था, जोकि आबादी के बीच तक पहुँच गया था। मान्यवर, निकट भविष्य में भारी वर्षा से जल स्तर 660 मीटर तक पहुँचने का अनुमान है, जोकि आबादी के ऊपर तक का हिस्सा होगा। मान्यवर, ऐसी स्थिति में भी सरकार और टिहरी बाँध प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मान्यवर, प्रशासन जबरन वहाँ के लोगों को डरा-धमकाकर वहाँ से भगाना चाहता है। इन लोगों को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित किया गया है। वहाँ पर जो दूरभाष केन्द्र है, वह भी इसी जल स्तर के नीचे है, हल्की वर्षा से भी वह दूरभाष केन्द्र खराब हो जाता है।

मान्यवर, मात्र थाने में ही कनेक्शन है और जहाँ पर बिजली सब स्टेशन बना हुआ है वह 640 मीटर पर है, तो बिजली की सप्लाई भी ऐसे समय पर ठप्प पड़ जाती है और झील का पानी इनके घरों तक पहुँच रहा है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में इन परिवारों के जीवनयापन की समस्या इनके सामने उत्पन्न हो गई है। मान्यवर, उक्त समस्या का समाधान का प्रयास सरकार व बाँध प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप इन परिवारों में जीवनयापन के सवाल पर भयंकर आक्रोश व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह वास्तव में एक अहम प्रश्न है जिसको माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी ने यहाँ पर रखा है, लेकिन जिन 200 परिवारों के बारे में आपने बताया, उनके सामने आम जीवन अस्त–व्यस्त होने की जानकारी दी। इसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसके प्रति सरकार बहुत गम्भीर है और निरंतर इसके लिए प्रयासरत् है। अभी प्रशासकीय जिलाधिकारियों को बाँध विस्थापितों के बारे में निर्णय लेना है और व्यवस्था करने तक एक निर्देश शासन स्तर से जारी किये गये हैं। मैं समझता हूँ कि आपने जो चिन्ता की है उससे हम लोग बिल्कुल भिन्न हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विधायक श्री प्रीतम सिंह पंवार और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के धनशाली तहसील बूढ़ाकेदार क्षेत्र में वायरल फिवर बेकाबू हो गया और ग्राम तोली, कोटविशन, तितुर्णा, जखाणा, भैल्डगाँव, मिगुन, दल्ला, कोटि, अगुण्डा, पिरवाड़, मेड, मरवाड़ी, नवालगाँव, आगर, रकस्या, थाती, सौंला, कुंडियाली व प्रतापनगर तहसील के पट्टी ओण के माजफ देवल, रमोलगाँव, सुकरी, मेलुन्ता, ओखला, मिश्रवाणगाँव, कुरानडोंगसारी, पट्टीरौणद व उपलीरमोली के दर्जनों गाँव में वायरल फिवर बेकाबू हो गया है। उक्त गाँव के सैकड़ों परिवार प्रभावित हो गये हैं और एक माह के अन्तर्गत वायरल से मृतकों की संख्या तीन दर्जन से भी अधिक पार कर गई है।

मान्यवर, कई परिवारों में रोगी को पानी देने वाला तक नहीं बचा है, मृतकों की अत्येष्टि तक में काफी परेशानी आ रही है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा जो दवाईयाँ दी गयी हैं वह घटिया होने के कारण बेअसर साबित हो रही हैं। बूढ़ाकेदार क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सक भी अनुपस्थित चल रहे हैं, लेकिन इस वायरल फिवर को नियन्त्रित करने के लिए सरकार की ओर से कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये गये। मान्यवर, यह घटना तात्कालिक, अविलम्बनीय और लोक महत्व की है, इस विषय पर सदन के अन्दर चर्चा कराई जानी बहुत आवश्यक हो गई है।

*चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, पिछले दिनों में बूढ़ाकेदार क्षेत्र और कुछ तहसील के और क्षेत्रों में, प्रतापनगर के गाँव में वायरल फिवर की बीमारी के प्रकोप का मामला प्रकाश में आया है। जैसे ही समाचार प्राप्त हुआ कि वायरल फिवर की चपेट में लोग आ रहे हैं तत्काल सी0एम0ओ0 द्वारा टीम गठित करके और निदेशालय के अपर निदेशक के नेतृत्व में टीम भेजी गयी, दवाएं वितरित की गयी और लोगों को लाभ भी हुआ। जहाँ तक लोगों की मृत्यु का सवाल है, लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन 50 वर्ष से ऊपर के लोगों की मृत्यु हुई और यह कहना कि इसी बीमारी के कारण हुई ऐसा नहीं प्रतीत होता। इस सम्बन्ध में नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ इपीडियामोलॉजी, चेन्नई से डॉ0 एम0सी0 गुप्ता के नेतृत्व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में एक टीम भेजी गयी तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली के उप निदेशक डॉ0 अजय खेड़ा के नेतृत्व में भी वहाँ भ्रमण किया तथा इलाज किया गया और आज भी हमारी टीम वहाँ मुस्तैद है। जहाँ तक आयुर्वेदिक चिकित्सक के बारे में कहा गया कि वे वहाँ पर नहीं मिले, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

मैं श्री बलवीर सिंह नेगी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, आपने मुझे विचार रखने का समय दिया मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, काशीपुर में एक गढ़ीनेगी गाँव है और गाँव और काशीपुर शहर के बीच में एक ढेला नदी बहती है। मान्यवर, आप जानते हैं कि जो नदियाँ हैं उनके पानी का फैलाव दूसरी दिशा में जाता है तो कभी दूसरी दिशा में। इस फैलाव के कारण कभी भूमि इधर छूट जाती है तो कभी उधर छूट जाती है। मान्यवर, पिछले 35 सालों से वहाँ पर सिक्ख, एस0सी0, मजहबी सिक्ख 30–35 परिवार हैं जिनके पास प्रति परिवार एक–डेढ़ एकड़ भूमि है और 35 साल से वे अपनी जीविका पाल रहे हैं। सन् 1990 में प्रशासन द्वारा नान–सिक्ख भूमिहीनों को सम्बन्धित अराजी के पट्टे काट दिए गये थे और यह नहीं देखा गया कि भूमि पर कोई काबिज है या नहीं। तभी वहाँ पर यह विवाद शुरू हुआ। वे जो सिक्ख भूमिहीन और एस0सी0 हैं, मजहबी सिक्ख हैं, उनको वहाँ से उजाने का प्रयास किया जा रहा है और जिनके नाम पट्टे काटे गये हैं उनको बताने का कार्य किया जा रहा है। वे लोग माननीय तिवारी जी से भी मिले हैं। तिवारी जी ने जब–जब जिलाधीश को देखने को कहा, तब–तब वहाँ पर बसे सिक्ख भूमिहीनों को उजाड़ने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया गया।

मान्यवर, पिछले 35 सालों से ये 40–50 परिवार उत्पीड़ित हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है। मान्यवर, तहसीलदार आता है वह कभी लाइनें इधर काटकर चला जाता है तो कभी एस0डी0एम0 लाइनें उधर काटकर चला जाता है। उनको कागजों से बेदखल किया जाता है। वे बेचारे भूमिहीन हैं, बेघर हैं। वे बेचारे गरीब हैं। उनको हटाये जाने के बाद उनके लिए केवल चोरी–डकैती और गुण्डई के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। वे आक्रोशित हैं। मान्यवर, मेरा कहना है कि उसी नदी के दूसरे तट पर जो लगभग 70 एकड़ जमीन है, उस जमीन के पट्टे काटकर इन गरीब परिवारों को दिया जा सकता है लेकिन प्रशासन इसका समायोजन नहीं कर रहा है। वहाँ पर जातीय विचारधारा पैदा की जा रही है सिक्ख और नॉन–सिक्ख की बात की जा रही है। मैं सरकार से इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूँगा कि जो 30–35 परिवार हैं उनके नाम पट्टे काट दिये जायें और जो 70 एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है उन पट्टेधारकों को उस जमीन पर पट्टे काट दिये जाए।

राजस्व मंत्री (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी द्वारा जो आपके माध्यम से सदन को सूचना दी गयी कि जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम गढ़ीनेगी, काशीपुर में ढेला नदी के पश्चिमी तट पर 35 वर्षों से निवास कर रहे भूमिहीनों को बेघर किये जाने की कार्यवाही स्थानीय जिला

प्रशासन द्वारा की जा रही है जिस कारण स्थिति अत्यंत चिन्ताजनक व विस्फोटक है। मान्यवर, दिनांक 27–8–86 को 130 पात्र व्यक्तियों को 1–1 एकड़ कृषि हेतु भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था इसके पश्चात् तत्कालीन उप जिलाधिकारी काशीपुर ने उपलब्ध भूमि का सर्वे कराया लेकिन सर्वे के दौरान पाया गया कि स्थल पर मात्र 65 एकड़ भूमि उपलब्ध है परन्तु पूर्व में 130 पट्टेदारों को 1–1 एकड़ प्रति व्यक्ति के हिसाब से भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके पश्चात् दि0 24–3–90 को 130 पट्टेदारों को आधा–आधा एकड़ भूमि आवंटित करने की संस्तुति तहसीलदार काशीपुर द्वारा की गयी और दिनांक 26–3–90 को उक्त पात्र व्यक्तियों को आधा–आधा एकड़ भूमि का पट्टा दिया गया और दि0 30–3–90 को आवंटित व्यक्तियों को स्थल पर कब्जा भी दिलाया गया। इसी बीच अवैध कब्जेदार विनीत कुमार पुत्र दीवान चन्द्र आदि ने सिविल न्यायालय काशीपुर में सिविल सूट नं0 133/1989 दायर कर दि0 23–3–90 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। यह स्थगन आदेश 13 पट्टेदारों पर लागू नहीं हुआ और वह अपनी आवंटित भूमि जोतते–बोते रहे। दि0 2–4–2002 को सिविल न्यायालय, काशीपुर द्वारा उक्त संदर्भित वाद सरकार के पक्ष में निर्णित किया।

मान्यवर, इस निर्णय के खिलाफ अवैध कब्जेदारों ने जिला जज ऊधमसिंह नगर के न्यायालय में अपील दायर की जिसमें दिनांक 19–04–2002 को सरकार के पक्ष में निर्णय दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट दायर की गयी वह भी सरकार के पक्ष में निर्णीत हो चुकी है। दिनांक 29–04–2002 को 71 पट्टेदारों को मौके पर कब्जा दिया गया तथा दिनांक 7–9–2002 तथा दिनांक 24–10–2002 को रक्षा विभाग हेमपुर डिपो काशीपुर के कब्जे से भूमि लेकर 37 लोगों को कब्जा दिलाया गया। दिनांक 21–11–2002 को 4 पट्टेदारों को तथा दिनांक 7–1–2003 को 5 पट्टेदारों को भूमि का कब्जा दिलाया गया। इस प्रकार कुल 117 पट्टेदारों को भूमि पर कब्जा दिलाया जा चुका है। मान्यवर, उपरोक्त आवंटित भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था जिनको हटाकर पट्टेदारों को कब्जा दिया जा चुका है। उक्त अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही सन्दर्भित भूमि पर पुनः बसाये जाने अथवा अन्यत्र पट्टा दिये जाने की माँग की गयी है।

चूँकि प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में पट्टेदारों का कब्जा है। अतः इस भूमि पर उन्हें बसाया जाना या पट्टा दिया जाना सम्भव नहीं है। उक्त व्यक्तियों को उनकी पात्रता का परीक्षण करने के उपरान्त अन्यत्र पट्टा दिये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा सन्दर्भित व्यक्तियों को बेघर किये जाने की कार्यवाही नहीं की जा रही है। मान्यवर, जिन्हें पट्टा दिया गया है वे पात्र व्यक्ति है, लेकिन सम्मानित सदस्य ने जो बात कही है उस सम्बन्ध में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उस भूमि पर पट्टा देना सम्भव नहीं है। लेकिन सरकार उन अवैध कब्जेदारों की आर्थिक स्थिति का आकलन करेगी और अगर वे पात्रता के मानकों को पूरा करते हैं तो मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार उन्हें अन्यत्र पट्टा देगी।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, कागजों और हकीकत में अन्तर है। मंत्री जी के पास जो सूचना है वह कागजों की सूचना है और मेरे पास वास्तविक सूचना है। इसमें जो खसरा नं0 हैं वे हैं:

929/17, 933/14, 934 मिन, 938, 339/9, 940/5 एवं 941 मिन। मान्यवर, यह स्पेसिफिक एरिया है। 35 साल से लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। आप पट्टेदारों की बात कर रहे हैं। कागजों में भले ही ये पट्टेदार हों, लेकिन मौके पर ये लोग आज भी वहाँ पर काबिज हैं। मान्यवर, एक व्यक्ति को हटाकर दूसरे को पट्टा दे दिया जाये यह न्याय की बात नहीं है। ये लोग यहाँ 35 साल से काबिज हैं। 1990 में जब पट्टे दिये गये थे तब भी ये वहाँ पर काबिज थे।

मान्यवर, ये लोग गरीब आदमी हैं, पढ़ाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है, रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है। तहसीलदार वहाँ जाता है तो कहता है, भागो यहाँ से डी0एम0 जाता है तो वह यही कहता है कि इस जमीन को खाली करो। पानी की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, न्यायालय में यह मामला नहीं जाता। यदि तब प्रशासन उस समय कोई कार्यवाही करता, ये लोग 25 सालों से वहाँ पर काबिज हैं और उनको भूमिहीन कर दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, यदि कोई आदमी बेघर हो जाता है तो उसकी क्या पीड़ा होगी यह हमें और शासन को देखना होगा। इन लोगों की पीड़ा को हमें समझना चाहिए मान्यवर, ये लोग मजहबी सिक्ख हैं, अनुसूचित जाति के हैं, यह जमीन नदी की छोड़ी हुई है न जाने कब नदी इधर मुड़ जायेगी और उनके बचाव के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किये गये हैं, इस पर आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, दूसरे तट पर 50 एकड़ जमीन है, 90 से उनके नाम के पट्टे कटे हैं लेकिन फिजीकल कब्जा उनका वहाँ पर अभी तक नहीं है। इस बात को आपके डी0एम0 भी मानते हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि उन लोगों को भूमिहीन न किया जाये। यदि ऐसा हुआ तो वहाँ पर जातीय दंगा होने की आशंका है मैं वहाँ का विधायक हूँ तो मैंने स्थिति को आपके संज्ञान में ला दिया है, यह मेरा फर्ज था। मान्यवर, किसी की रोजी रोटी को छीनकर उसे भूमिहीन न किया जाये उनकी जीविका को चलाने के लिए उनके नाम के पट्टे काटे जाये और उनको कब्जा दिया जाये और अन्य लोगों को दूसरी छोर पर पट्टे दिये जायें। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह मामला मा0 न्यायालय द्वारा निर्णित किया जा चुका है और सम्मानित उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन इस सरकार द्वारा हमेशा से किया जाता रहा है, जहाँ तक जातीय विद्वेष की बात है तो सरकार, जाति, धर्म या मजहब के आधार पर चश्मे से देखने का प्रयास नहीं करती है। जहाँ तक पट्टे देने की बात है तो पट्टे उन्हें दिये गये हैं जो उन्हें लेने की पात्रता रखते हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने अवगत कराया कि ये जो बेदखल किये जा रहे हैं तो ये पट्टे पाने की पात्रता नहीं रखते होंगे। इनमें से यदि जो कोई भी पट्टे लेने की पात्रता रखता हो तो सरकार का यह प्रयास रहेगा उन्हें भी उसी प्रक्रिया के तहत पट्टे दिये जा सकें। और जहाँ तक उस जमीन पर उनके कब्जे की बात है तो वह उनका अवैध कब्जा था वे लोग वहाँ पर अवैध रूप से निवास कर रहे थे यदि कोई व्यक्ति कहीं पर अवैध रूप से कितने साल से क्यों न रह रहा हो उसे उसका मालिक तो नहीं समझा जा सकता क्योंकि कानून सर्वोपरि है, उसकी अवहेलना करने का अधिकार किसी को नहीं है।

मान्यवर, हम भी यह चाहते हैं कि गरीबों के पास अपनी भूमि हो, लेकिन इस सम्बन्ध में भावना में बहकर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। यदि भावना में बहकर सरकार कोई निर्णय करेगी तो उससे पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। मान्यवर, हम नहीं चाहते कि लोगों के सामने यह नजीर बने कि अमुक गाँवों के लोगों का कब्जा अमुक भूमि पर था और न्यायालय के निर्णय के बाद भी सरकार ने उनका पट्टा नियमित कर दिया, इसलिए हमको भी कब्जा मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि पर कब्जा कर लेगा और 10–20 साल बाद जब न्यायालय से मुकदमा हार जायेगा तो यह कहेगा कि मैं अमुक जाति का हूँ, इसलिए मुझे कब्जा नहीं दिया गया। मान्यवर, इस प्रकार एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। हमारी सरकार की मंशा किसी को बेघर करने की नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का निर्णय हो चुका है किन्तु फिर भी मैं माननीय सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि कमिश्नर कुमाऊँ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करके पूरे प्रकरण की जाँच कराऊँगा।

श्री अध्यक्ष–

श्री हरभजन सिंह चीमा तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

प्रदेश के प्राथमिक पाठशालाओं में मानक के आधार पर अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति तथा प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक अनिवार्य रूप से नियुक्त किये जाने विषयक प्रस्ताव

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश के प्राथमिक पाठशालाओं में मानक के आधार पर अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाए तथा प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक अनिवार्य रूप से नियुक्त किये जाएं"।

मान्यवर, बेसिक शिक्षा की बिगड़ी हुई व्यवस्था को देखते हुए मैं लोकहित का यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रख रहा हूँ। अक्सर यह देखा जाता है कि दूरस्थ क्षेत्र के बेसिक स्कूलों में ताले पड़े होते हैं, वहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं होते हैं और सुविधाजनक स्थानों पर अध्यापकों की भरमार होती है। मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पूर्व मैं एक प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण पर गया था, तो मैंने देखा कि एक लड़का वहाँ पर पठन–पाठन का कार्य कर रहा था। मैंने पूछा क्या आप यहाँ पर अध्यापक हैं, तो उसने कहा कि अध्यापक तो आज कहीं गए हैं, मैं उनका भाई हूँ और आज पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार की अव्यवस्था बेसिक शिक्षा में है। इसी प्रकार जब मैं पट्टी दोगी, नरेन्द्र नगर के भ्रमण पर गया, तो मैंने एक अध्यापक को घर जाते देखा, मैंने उनसे पूछा कि क्या आज स्कूल में छुट्टी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने छुट्टी कर दी है। मैं उनको लेकर गया और फिर से स्कूल खुलवाया। इस तरह से उदाहरण आपको अनेक जगह मिल जायेंगे। स्कूल समय से नहीं खुलते और अध्यापक सही से पठन–पाठन का कार्य नहीं करते, मेरा अनुरोध है कि इस ओर गम्भीरता से ध्यान दिया जाए तथा हर विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति की जाय। यदि माननीय मंत्री जी यह

आँकड़े इकट्ठे कर लें कि प्रत्येक जनपद में कितने विद्यालय हैं तथा उनमें कितने अध्यापक नियुक्त किये गये हैं, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और जिन विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं, वहाँ पर अध्यापकों की नियुक्ति की जा सकती है।

मान्यवर, सुपाणा, श्रीनगर के पास है वहाँ पर एक विद्यालय में छात्र संख्या 14 है और अध्यापकों की संख्या 6 है। 14 विद्यार्थियों पर 6 अध्यापिकायें पठन–पाठन का कार्य कर रही हैं। मैंने वहाँ पूछा तो पता चला कि कभी एक पढ़ाने को आ जाती है और कभी तो पाँच–पाँच गायब हो जाती हैं। मान्यवर, सुविधाजनक स्थान पर अध्यापकों की भरमार है। राजनीतिक प्रभाव से शिक्षकों की तैनाती होती है इस प्रकार से सरकार जनता के ऊपर न्याय नहीं कर रही है। हम चाहते हैं प्रत्येक विद्यालय में पठन–पाठन हो और वहाँ पर अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाये तो अच्छी बात होगी। दूसरा बिन्दु है प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक तो होने ही चाहिएं।

मान्यवर, बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को जनगणना, पशुगणना और साक्षरता गणना में लगाया जाता है, कभी–कभी वह वेतन लेने चले जाते हैं जिस कारण शिक्षण कार्य बन्द हो जाता है। उन विद्यालयों की क्या हालत होती होगी जिन विद्यालयों में अध्यापक अनुपस्थित रहते हैं और ताला लगा होता है, जो हमारे नन्हें–मुन्ने बच्चे होते हैं, वह इधर–उधर भ्रमण करते रहते हैं। बेसिक शिक्षा में सुव्यवस्था लाने के लिए कम से कम दो अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। अगर एक अध्यापक छुट्टी में चला जाता है तो दूसरा अध्यापक पठन–पाठन का कार्य करेगा। अगर आप मानक के आधार पर नियुक्त करें तो बेसिक शिक्षा में सुधार होगा। मान्यवर, यह जायज बात है समाज हित की बात है, शिक्षा में सुधार लाने की बात है। इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि यह विपक्ष का विधायक बोल रहा है। इसमें जनहित में निर्णय करना चाहिए। मैं इस लोकहित के प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, मैं श्री कण्डारी जी के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात रखता हूँ। कल माननीय शिक्षा मंत्री जी का शिक्षा के ऊपर वक्तव्य आया, उसमें वह लगभग 225 विद्यालय बन्द करने जा रहे हैं, जहाँ पर छात्र संख्या कम है। कण्डारी जी का प्रस्ताव है कि विद्यालय में छात्रों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं।

मान्यवर, लगभग एक लाख कर्मचारियों का दबाव माननीय मंत्री जी के ऊपर है। हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बहुत बहस करते हैं और कहते हैं कि साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है। लेकिन यदि गौर करें तो सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में जो कक्षा 4 तथा कक्षा 5 में बच्चे पढ़ते हैं यदि उनका टैस्ट अलग से कहीं मैदानी क्षेत्र के स्कूलों में लिया जाता है तो वे पास नहीं होते हैं। यही कारण है कि मैदानी क्षेत्रों में उनका दाखिला नहीं हो पाता है। क्योंकि उनके ज्ञान का स्तर मैदानी छात्रों में पढ़ने वाले छात्रों से कम है। सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में अध्यापक जाना नहीं चाहते हैं। वे सुविधाजनक क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमने एक नीति बनाई है जिसके अन्तर्गत सुदूर क्षेत्रों में अध्यापकों को जाना पड़ेगा।

किन्तु मुझे संदेह है क्योंकि माननीय मंत्री जी के ऊपर शिक्षक संघ का दबाव है और भी बहुत से दबाव हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में सेरागाड प्राथमिक विद्यालय है जो कर्णप्रयाग ब्लॉक में है वहाँ पर 5 महीने से ताला लटका हुआ है। अनेक विद्यालय ऐसे है जहाँ पर 5–6 साल से ताला लटका हुआ है। छात्र अध्ययन करने के लिए कहाँ जाए। बाद में बहुत से छात्र प्राइवेट स्कूलों में दाखिल हो जाते हैं। हम विद्यालयों को छात्रों की संख्या कम होने के कारण बंद करने की बात करते हैं। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है। मेरे क्षेत्र में बहुत से लोग प्रस्ताव लेकर मेरे पास आते हैं। मैंने माननीय मंत्री जी को बहुत से प्रस्ताव दिए भी हैं। मान्यवर, जो शिक्षा का ढाँचा है अगर हमने उसको नहीं सुधारा तो धीरे–धीरे प्राथमिक शिक्षा का स्तर समाप्त हो जायेगा। उसके दोषी हम सभी होंगे। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी दो टूक शब्दों में अपनी बात को कहें कि जहाँ पर छात्रों की संख्या 11 है वहाँ पर आप दो अध्यापक देने की स्थिति में हैं। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री कण्डारी जी ने जो शिक्षा का प्रस्ताव रखा है, उससे सहमत हूँ। वास्तव में दूर–दराज क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में बहुत दुर्दशा है। दूर–दराज के क्षेत्रों में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। उनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है।

मान्यवर, कल माननीय शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा नीति की बात की थी, जिसमें सुगम, दुर्गम तथा अतिदुर्गम स्थानों का उल्लेख किया था। नीतियाँ बनती रहती हैं, इससे पहले भी नीतियाँ बनी होंगी। आज भी कई विद्यालय ऐसे हैं, जो शिक्षक विहीन हैं। इन विद्यालयों के छात्र कैसे परीक्षा देंगे तथा कैसे पास होंगे यह भी विचारणीय विषय है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र दुगड्डा ब्लाक का उदाहरण दे रही हूँ इस ब्लाक के अन्तर्गत भाबर और पर्वतीय क्षेत्र आता है। पर्वतीय क्षेत्र में अध्यापकों की नियुक्ति है, लेकिन वे भाबर क्षेत्र से सम्बद्ध हैं, जबकि उनका वेतन पर्वतीय क्षेत्र से ही निकलता है। मान्यवर, साक्षर तो घर में बैठकर भी हो जाते हैं, इसलिए इस विषय पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। मान्यवर, शहरी क्षेत्रों में तो पब्लिक स्कूल हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का एकमात्र साधन सरकारी स्कूल ही है इसलिए मैं चाहती हूँ हमारे पर्वतीय क्षेत्र की जनता शिक्षा से वंचित न रहे, इसीलिए इस विषय पर मैं चर्चा की माँग करती हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने मुझे इस लोक महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यहाँ पर प्राइमरी विद्यालयों में मानकों के आधार पर अध्यापकों की बात कही गयी। आज स्थिति यह है कि जहाँ पर 10 छात्र हैं, वहाँ पर एक अध्यापक नियुक्त है तथा जहाँ पर 80 छात्र हैं, वहाँ पर भी एक ही अध्यापक नियुक्त है। मान्यवर, यह बड़ी विषम स्थिति है मैं पूरे प्रदेश के छात्रों और अध्यापकों के अनुपात को यहाँ पर रख रहा हूँ। मान्यवर, पौड़ी गढ़वाल में 1 : 28, चमोली में 1 : 25, रुद्रप्रयाग में 1 : 33, उत्तरकाशी में 1 : 40, टिहरी में 1 : 37, देहरादून में 1 : 74, हरिद्वार में 1 : 102,

नैनीताल में 1 : 48, ऊधमसिंह नगर में 1 : 89, अल्मोड़ा में 1 : 46, बागेश्वर में 1 : 43, पिथौरागढ़ में 1 : 35 तथा चम्पावत में 1 : 46 है। मान्यवर, यह स्थिति विचित्र है।

मान्यवर, जब हम शिक्षा का प्रतिशत लेते हैं तो हरिद्वार में 64 प्रतिशत साक्षर है और वहाँ पर 102 पर एक अध्यापक है। मान्यवर, ऊधमसिंह नगर में 65.76 प्रतिशत साक्षरता है और वहाँ पर 89 छात्रों पर एक अध्यापक है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में प्राइमरी व्यवस्था ठीक नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, जिस प्रकार से लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है उसी तरह से बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में शिक्षा के मानक के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं माननीय मातबर सिंह कण्डारी जी के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के मानक का अनुपात 40 : 1 है। अर्थात 40 छात्रों पर एक अध्यापक है। मान्यवर, 1983–84 में जब हम उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रतिनिधित्व करते थे तो उस समय हमने पर्वतीय क्षेत्र से एक माँग रखी थी कि छात्रों की संख्या जो भी हो परन्तु विद्यालय में दो अध्यापकों का मानक हो। मान्यवर, उत्तरांचल में 11361 प्राथमिक विद्यालय हैं और इनमें प्रधान अध्यापक के 8448 स्वीकृत पदों के विपरीत 7723 प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के 19356 स्वीकृत पदों के विपरीत 14715 अध्यापक कार्यरत हैं। बी0टी0सी0 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु चलाने के लिए 1851 शिक्षा मित्रों की तैनाती की गई। इस प्रकार कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष 24290 अध्यापक कार्यरत हैं और 3515 सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं। यह रिक्तियाँ विगत कई वर्षों से चली आ रही हैं। इस सम्बन्ध में पूर्ववर्ती सरकार भी प्रयासरत रही और हम भी प्रयासरत हैं। एक सबसे बड़ी अड़चन जो है वह है पूर्व में सम्बद्धीकरण की व्यवस्था शिक्षा के हित में नहीं थी और यह सम्बद्धीकरण की भ्रष्ट व्यवस्था रहती थी मेरी जानकारी के अनुसार आज की तारीख में सम्बद्धीकरण पर एक भी शिक्षक नहीं है और यदि कोई सम्बद्धीकरण पर पाया जाता है तो कठोर से कठोर कार्यवाही होगी। (व्यवधान) जिन लोगों ने इस आदेश का पालन नहीं किया हमने उन्हें निलम्बित कर दिया।

मान्यवर, विद्यालय तो खोल लिए, पद सृजन की कार्यवाही नहीं हुई। अब हम इन विद्यालयों में अध्यापकों को विद्यालय संचालन के लिए तैनात कर रहे हैं, उनको अटैचमेन्ट नहीं कह सकते। इस तरह से हमने सम्बद्धीकरण की यह व्यवस्था समाप्त की और धीरे–धीरे इस समय हमारे जो 900 बी0टी0सी0 प्रशिक्षित आए उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए आदेश कर दिये हैं, नैनीताल, चमोली में नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं और शेष जनपदों में जुलाई, 2003 तक नियुक्तियाँ की जायेंगी। बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हम अगले वर्ष से बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्रारम्भ करने का प्रयास करेंगे। पिछले वर्ष हमने विशिष्ट बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करना चाहा तो मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन हो गया। मान्यवर, सी0पी0एड0, बी0पी0एड0 आदि के लोग भी कह रहे हैं हम इसके लायक हैं, अमरावती के लोग भी कह रहे हैं कि हम इसके योग्य हैं,

कानपुर से भी लोग फर्जी बी0एड0 करके आ रहे हैं वे भी इसमें सम्मिलित होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम शिक्षा में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि हमें विशिष्ट बी0टी0सी0 में नियुक्ति करनी है तो हम सम्भवतया परीक्षा के माध्यम से करने पर विचार करेंगे तथा जो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हीं की नियुक्ति की कार्यवाही को करेंगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, जो बी0एड0 के लड़के हैं यदि वे हमारे प्राथमिक विद्यालयों में काम करने को तैयार हैं तो उनको हम नियुक्ति देने पर विचार कर सकते हैं। मान्यवर, जो फर्जी डिग्री लेकर आ रहे हैं, उनको हम नहीं दे सकते।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, क्या जब आवेदन हो रहे थे तो आपने कोई मानक तैयार किये थे कि कौन–कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन से नहीं?

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हम इन्टरेन्स परीक्षा ले लेंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने जो किया था उसको तो हम कोर्ट में भुगत गए।

मान्यवर, जब हम इनको टेस्ट के लिए अपने यहाँ एन्ट्री देंगे तो उसी आधार पर ये लोग कोर्ट चले जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और माननीय मंत्री जी इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया है जिनकी डिग्री को आप उत्तरांचल में मान्यता नहीं देंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अमान्य कर दिया है तो हम मान्य कैसे कर दें। विशिष्ट बी0टी0सी0 की व्यवस्था जो गत शासनकाल में आप लोगों द्वारा पहले शुरू की गयी उसी से तो कठिनाई आ रही है। हम वंचित हो जायेंगे अध्यापकों की नियुक्ति से क्योंकि इसमें न्यायालय द्वारा फिर स्टे हो जायेगा। हमारा प्रयास शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखना है और जो हमारे क्वालीफाइड अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता

मिलनी चाहिए। यह मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है। विशिष्ट बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों का चयन टेस्ट के जरिये करने के बारे में हमारी सरकार सोच रही है। जिससे प्रदेश में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें मानकों के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति हो जा सके।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, आपने विशिष्ट बी0टी0सी0 में उन छात्रों के आवेदन लिए जिन्होंने बी0एड0 किया हुआ है। क्या आप उनकी अलग से परीक्षा लेंगे?

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, कोर्ट से बचने के लिए ही यह रास्ता अपनाया गया है। जहाँ तक हमारे सम्मानित सदस्य जी विद्यालय बन्द करने की बात कर रहे हैं तो आप बताएं कि जिस विद्यालय में छात्र संख्या ही नहीं है तो वहाँ क्या करें ? विद्यालय बन्द न करें तो क्या करें?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वहाँ पर छात्र बढ़ाने की योजना बनायी जाए।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मेरी जानकारी में ऐसी कोई पालिसी है ही नहीं यही नहीं बल्कि सम्भवतया अखिल भारतीय स्तर पर ही नहीं है। मान्यवर, हमारा यह पूरा प्रयास है कि जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि कम से कम प्रत्येक विद्यालय में दो अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। इस सम्बन्ध में पूरा प्रयास किया जा रहा है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, दो बिन्दु बहुत आवश्यक हैं। मेरा कहना है कि जितने अध्यापक आज हैं उनको आप सुव्यवस्थित रूप से जनपदों में तैनात कर दें। दूसरे जहाँ छात्र संख्या कम है 4–5–6 अध्यापक हैं जहाँ छात्र 200 हैं वहाँ पर कम से कम 2–3 अध्यापक तो रखे जायें। मैं यह प्रस्ताव इसलिए लाया हूँ ताकि आप अध्यापकों को सुव्यवस्थित कर दें। जहाँ अध्यापक अधिक हैं उन्हें कम अध्यापकों वाले विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाये। मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश के प्राथमिक पाठशालाओं में मानक के आधार पर अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाए तथा प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक अनिवार्य रूप से नियुक्त किये जाएं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए चिकित्सा ढांचे में आमूल परिवर्तन विषयक प्रस्ताव

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए चिकित्सा ढांचे में आमूल परिवर्तन किया जाए।"

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य का जो मूल अन्तरविरोध है वह इससे पूर्व के प्रस्ताव पर इस सदन में चर्चा के दौरान देखने को मिला। जो दूसरा मूल अन्तर विरोध है वह है चिकित्सा व्यवस्था के सम्बन्ध में। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य को बने ढाई वर्ष हो चुके हैं और आज भी उत्तरांचल के अन्दर न शिक्षा व्यवस्था दुरूस्त हो पाई है और न चिकित्सा व्यवस्था ही दुरूस्त हो पाई है। इसलिए मुझे इस प्रस्ताव को लाने पर मजबूर होना पड़ा। मान्यवर, जब हम विचार करते हैं सम्पूर्ण उत्तरांचल के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों को नजर में रखते हुए तो कुछ बातें सामने आती हैं और यदि आंकणों को देखें तो इस राज्य की 74.41 प्रतिशत जनता दूरस्थ अंचलों में बसती है और केवल 25.59 प्रतिशत जनता नगरीय क्षेत्रों में बसती है। मान्यवर, दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के 955 ऐसे गाँव हैं जो गैर आबाद हो चुके हैं। यदि सम्पूर्ण भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर नजर डालें, इतिहास के पन्नों को यदि हम पढ़ें तो पायेंगे कि हमारे यहाँ चिकित्सा प्रणाली में शताब्दियों से अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। चरक ऋषि ने हमारे देश में आयुर्वेद को जन्म दिया।

उस पद्धति के जनक चरक ऋषि ने यहाँ की स्वास्थ्य प्रतिरक्षण के लिए एक चिकित्सा पद्धति का विकास किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसमें व्यापक परिवर्तन भी हुए। इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश देने के लिए स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1859 में रायल कमीशन की स्थापना की गई थी कि वह स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था के लिए एक अलग से व्यवस्था बनायें। उन्होंने इस पर कुछ संस्तुतियाँ की थी परन्तु उन संस्तुतियों को तत्काल रूप से स्वीकार नहीं किया था। क्योंकि अंग्रेजी राज में यह सम्भव नहीं रहा होगा। लेकिन जब 1896 में वर्मा में विस्फोटक रूप से मलेरिया फैला था तब 1904 में प्लेग कमीशन की स्थापना हुई थी जिसने यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था के लिए एक अलग से व्यवस्था की संस्तुति दी थी। उस समय अंग्रेजों ने इसके लिए एक विभाग अलग से खोला था और जब 1943 में हैल्थ एन्ड डेवलपमेन्ट बोर्ड का गठन किया गया जो कि बोडरा कमेटी के नाम से भी जानी जाती है। मैंने उनकी रिपोर्ट का अध्ययन किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आजादी के 54 साल के बाद भी आज वही स्थिति है जो तब थी उत्तरांचल जैसे राज्य के लिए भी यह महत्वपूर्ण है यहाँ तो बड़ी बुरी दशा है। उन्होंने जो उस समय अपनी रिपोर्ट दी थी वही आज भी है उन्होंने कहा था कि निम्न स्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था है, अस्पताल सिर्फ शहरी क्षेत्रों या घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है और प्रतिरक्षण व्यवस्था का अभाव है। उन्होंने भारत वर्ष का एक मानचित्रीय परीक्षण भी किया था कि 65,000 व्यक्तियों पर एक चिकित्सक है, 43,000 व्यक्तियों पर एक नर्स है, 4 लाख लोगों पर एक हैल्थ विजिटर है और 40,000

लोगों पर एक गिडवाइक है। उसके लिए उन्होंने अपनी अनुशंसायें भी दी थी वह इस प्रकार थी कि कोई भी धन के अभाव मे स्वास्थ्य सुविधा पाने से वंचित न रहने पाये यह 1943 में कहा गया है हमारे यहाँ के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में स्थिति यह है कि छोटी से छोटी परेशानी हो जाती है तो भी पालकी में बैठाकर ले जाना पड़ता है और जब वे अस्पताल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर डाक्टर नहीं होता है तो उन्हें मजबूर होकर प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना पड़ता है। जो गरीब व्यक्ति है वह नर्सिंग होम का महंगा इलाज कैसे करायेगा, इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। यह सरकार का कर्तव्य है कि धन के अभाव में किसी को चिकित्सा सुविधा से वंचित न रखा जाये। दूसरी अनुशंसा यह थी कि स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पूर्ण चिकित्सा प्रदान करें। तीसरी यह थी कि प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाया जाये और चौथी यह थी कि दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाये जिसका लाभ लोगों को मिले।

मान्यवर, स्वास्थ्य इकाईयाँ छोटी करने की बात भी बोहरा कमेटी ने की। मान्यवर, आज यदि हम उत्तरांचल की स्थिति पर गौर करें तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। हमारा जो चिकित्सा व्यवस्था का ढाँचा है उसके अनुसार 5508 की आबादी पर एक उपकेन्द्र है, जिसमें एक ए0एन0एम0 रहती है। अनुमान कीजिए, हमारे गाँव, जिनकी आबादी 50–60 व्यक्ति तक होती है। 5508 की आबादी 15 से 20 किलोमीटर के पैदल क्षेत्र में निवास करती है और उसमें सिर्फ एक ए0एन0एम0 है। हमारे यहाँ कुल 1525 उपकेन्द्र तथा 622 छोटे–बड़े अस्पताल हैं। इस प्रकार 13,504 की आबादी को एक अस्पताल कवर करता है। मान्यवर, हमारे यहाँ जो चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, वह द्विस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था चल रही है। मान्यवर, मैं कई बार माननीय पीठ का ध्यान आकर्षित कर चुका हूँ इतने गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही है लेकिन यहाँ पर एक भी अधिकारी मौजूद नहीं है। हम यह कहना चाहते हैं कि इस विषय पर नीति निर्धारित की जाय, लेकिन कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आजादी के पहले से द्विस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था चली आ रही है लेकिन आज तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

हमारी चिकित्सा व्यवस्था का पहला स्तर उपकेन्द्र, जिसका अभी मैंने जिक्र किया है और दूसरा स्तर जिला चिकित्सालय है, जहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा उपचार किया जाता है, यह हमारी चिकित्सा व्यवस्था का मोटा–मोटा खाका है। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य की माँग है कि अर्थ व्यवस्था की रीढ़ मातृ शक्ति को सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जायं। इसके लिए आवश्यकता है त्रिस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था लागू करने की। इस त्रिस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था का पहला स्तर दूरस्थ ग्रामीण अंचल होना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहाँ 670 न्याय पंचायतें और 6925 ग्राम सभाएं हैं। यदि सभी ग्राम सभाओं में एक–एक उपकेन्द्र खोल दें और प्रत्येक उपकेन्द्र में एक–एक ए0एन0एम0 नियुक्त कर दी जाए, तो हमारी अर्थ–व्यवस्था की रीढ़ मातृ शक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हो जायेगी और स्वास्थ्य के नाम पर होने वाले पलायन को भी रोका जा सकेगा।

मान्यवर, गाँव इसलिए गैर आबाद होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर चिकित्सा सुविधा नहीं है। मान्यवर, प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र में एक रिफर सेन्टर हो। यह सभी सदस्य जानते हैं कि 10 गाँवों के बीच में एक न्याय पंचायत केन्द्र होता है। इस रिफर सेन्टर में एक फारमेसिस्ट, एक बहुउद्‌देशीय कर्मी और एक सहायक की नियुक्ति की जाय, जिसके माध्यम से तत्काल व्यवस्था हो सके। विकास खण्ड जिला स्तर पर बड़े चिकित्सालय खोलने चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि इसी वर्ष खोलें। कैसे हम चिकित्सा व्यवस्था को दुरूस्त कर सकते हैं इस ओर हमें काम करना चाहिए।

मान्यवर, त्रिस्तरीय व्यवस्था के माध्यम से चिकित्सा सुविधा को बेहतर किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी मैं इस सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस व्यवस्था को संकल्प लेकर आगे बढ़ायें। परिवर्तन नीतियों से होता है, न नारों से होता है, न नेता के माध्यम से होता है, न शक्ति से होता है। सरकार संकल्प लेकर इसे लाये हम इसके लिए सर्वसम्मति से तैयार हैं। सन् 43 से बोहरा कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। गाँवों में स्वास्थ्य सुविधायें न होने के कारण जनसंख्या का दबाव शहरों में बढ़ा। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से इस सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करें। इस प्रस्ताव से कोई भी असम्बद्ध नहीं हो सकता। यहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधायें दुरूस्त होनी चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से पास करें। माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

श्री अजय भट्ट--

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे श्री प्रकाश पंत जी द्वारा रखे प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, बहुत सारी बातें इसमें आ गई हैं। चरक से लेकर बोहरा कमेटी तक की बातें माननीय प्रकाश पंत जी ने कही हैं। वास्तव में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था का आज के परिप्रेक्ष्य में उत्तरांचल में ठीक से क्रियान्वयन कर लें तो आने वाले समय में उत्तरांचल अपने आप में पूरी तरह से देश के सामने एक आदर्श राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेगा। मान्यवर, स्वास्थ्य नीति जो आज से कई साल पहले थी उसे जस की तस नहीं कर सकते हैं उसमें आमुलचूल परिवर्तन हुआ है। लेकिन इसमें आज के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन किया जाना बहुत आवश्यक है।

मान्यवर, हमारी नीति यह होनी चाहिए कि दूरस्थ गाँवों में जो जरूरतमंद आदमी है उसको सुलभ और सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। मान्यवर, एलोपैथ का अविष्कार तो बहुत बाद में हुआ उससे पहले तो हमारे यहाँ आयुर्वेद ही था। वैद्य नाड़ी देखकर पता लगा लेते थे कि शरीर के अन्दर क्या बीमारी है। जो आज बीमारियाँ ई0सी0जी0 और एम0आर0आई0 के माध्यम से पता लगाई जाती हैं उन्हें नाड़ी द्वारा वैद्य लोग ज्ञात कर लेते थे। मान्यवर, आज इण्टरनेशनल स्तर पर आयुर्वेद की ओर लोग खींचे चले आ रहे हैं। किन्तु भारत इस पद्धति का फायदा नहीं उठा पा रही है। जब कि भारत तो आयुर्वेद का जनक है। च्यवनप्राश जैसी आयुर्वैदिक दवा के उपयोग से आदमी

कभी बूढ़ा नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसी–ऐसी जड़ी–बूटियाँ हैं यदि उनका उपयोग किया जाये तो व्यक्ति सदैव स्वस्थ्य रहेगा। सारे सिस्टम फेल हो सकते हैं लेकिन आयुर्वेद का सिस्टम कभी फेल नहीं हो सकता। आर्युवेद की 50 प्रतिशत से अधिक दवाओं का उत्पादन चाइना कर रहा है। भारत मुश्किल से 20 प्रतिशत दवाओं का उत्पादन कर रहा है। जब कि भारत आयुर्वेद का जनक है किन्तु उसकी हालत बिल्कुल खराब है।

मान्यवर, उत्तरांचल में एक ऐसे किस्म की जड़ी बूटी है जो 60–80 हजार रुपये किलो तक बिकती है। जिसका विदेशों में निर्यात होता है। इसका चाइना में भी निर्यात होता है। सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। जिन जगहों पर यह दवा पाई जाती है उन जगहों के लोग सब काम छोड़कर उसे निकालने चले जाते हैं। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी आयुर्वेदिक पद्धति तो वह पद्धति है जिसमें मरा हुआ आदमी भी जिन्दा हो जाता है। ऋषि मुनियों ने ताँबे के बर्तन को शुद्ध बताया और कहा कि ताँबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, तो इसके पीछे लॉजिक भी है। ताँबे के बर्तन का पानी हार्ट के लिए बहुत उपयोगी है। इसी तरह से स्वर्ण भस्म स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन बातों को परम्पराओं से जोड़ा ताकि लोग अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में इसका उपयोग कर सके। मान्यवर, स्वास्थ्य जीवन के प्रति हमारी जो पुरानी परम्परायें हैं वह समाप्त होने की कगार पर हैं। उन्हें पुनर्जिवित करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, हमें पुरानी परम्पराओं को जिंदा रखना होगा। माननीय प्रकाश पंत जी ने एलौपैथिक पद्धति के बारे में त्रिपक्षीय व्यवस्था की बात की है। हमने अपने समय में कुछ व्यवस्थाएं की थी, उन व्यवस्थाओं पर भी सरकार को अमल करना चाहिए। यह सभी जानते हैं कि दूरस्थ क्षेत्रों में हम डाक्टर नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हमने आँगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को 10–15 दिनों की ट्रेनिंग देकर उन्हें दवाइयों के किट उपलब्ध कराये थे। मान्यवर, गाँवों में दस्त के कारण पानी की कमी होने से मरीज की मृत्यु हो जाती है, इसको रोकने के लिए हमने इनको आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को ओ0आर0एस0 का घोल दिया था, जिससे कि मरीज में पानी की कमी न होने पाये और उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक लाया जा सके।

मान्यवर, हमारी एक यह भी योजना थी कि हर दूरस्थ गाँव के एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाय, जिससे सामान्य बीमारियों पर अंकुश लग सके। मान्यवर, जैसे कोई व्यक्ति उत्तरकाशी के दूरस्थ गाँवों में हो तो उसे एकदम से जिला चिकित्सालय या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीमारी की हालात में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए गाँव के अन्दर ही स्वास्थ्य रक्षक को जो ट्रेनिंग दी गयी है, वह प्राथमिक इलाज देकर उसे मुख्य चिकित्सालय तक लाने लायक बना सके। मान्यवर, डा0 पंत जो वर्तमान में दिल्ली में हैं एवं टाइफैक से सम्बन्ध रखते हैं के बारे में बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उनसे मुलाकात के बाद, हमारी पहल पर तथा उनके सहयोग से हमारे स्वास्थ्य विभाग और टाइफैक के बीच करार हुआ, जिसके कारण दो मोबाइल हॉस्पिटल स्वीकृत कराये गये इनमें से एक गढ़वाल में तथा एक कुमाऊँ मण्डल में हैं। इन मोबाइल चिकित्सालयों में पैथोलोजी, एक्स–रे मशीन आदि सभी जाँच के उपकरण रखे हुए हैं तथा फिजीशियन, महिला चिकित्सक,

रेडियोलाजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की व्यवस्था भी की जानी है। मान्यवर, जहाँ भी चिकित्सालय जायेगा, उस इलाके में पटवारियों, नर्सों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जन प्रतिनिधियों के माध्यम से पहले ही सूचना चली जायेगी। जरूरतमंद लोग वहाँ जाकर अपना इलाज करायेंगे।

मान्यवर, कोई व्यक्ति उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्र में बैठा हो या कोई नैनीताल के बेताल घाट नामक जगह पर है, यहाँ पर लैबोरिटी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, परन्तु ये चल चिकित्सालयों के द्वारा आज मौके पर ही जाँच सम्भव हो गयी है, जिससे किस को क्या बीमारी है इसका डाईग्नोसिस मौके पर ही कर दिया जाता है। वर्ल्ड हैल्थ सेन्टर से लगभग 50 वाहन आये हैं आज इनका उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों में चल चिकित्सालयों से इलाज किया जा सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपदों को बॉर्डर एरिया एलाउन्स दिया जाता है जिसके माध्यम से बड़ी मोबाइल बेन भी खरीदी जा सकती है और इनके द्वारा चल चिकित्सालयों का काम लिया जा सकता है, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों के पास तक पहुँच सकते हैं।

मान्यवर, बेहतर स्वास्थ्य देने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और वह दिन दूर नहीं जब हम गाँव-गाँव में अच्छी स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं, इसके लिए मिल बैठकर सारे सदन के लोग चर्चा करें। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया। मैं श्री प्रकाश पंत जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बल देता हूँ। मैं पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि चिकित्सा स्वास्थ्य का मामला पूरे उत्तरांचल का मामला है इसलिए सभी लोग इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति के पास करने की कृपा करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा-

मान्यवर, जापान की एक टेक्नोलॉजी है जिनके पास ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसमें 30-40 बेड होंगे, 3-4 डाक्टर सीट होंगी, नर्सेस होंगी, उसमें हर किस्म की दवाईयाँ होंगी। मान्यवर, उनका कहना है कि यह पहाड़ी क्षेत्र के अनुसार होंगी। मान्यवर, अगर सरकार चाहे तो विचार कर लें।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने उत्तरांचल के अन्दर चिकित्सा सुविधा में आमूल-चूल परिवर्तन की बात कही है। मान्यवर, श्री प्रकाश पंत जी उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और यह भी जानते हैं कि राज्य बनने से पहले उत्तरांचल के अन्दर स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति थी। मान्यवर, आज राज्य बनने के बाद उत्तरांचल के अन्दर स्वास्थ्य विभाग में बहुत अन्तर आया। मान्यवर, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि राज्य बनने के बाद जो विशेष रूप से सुधार आया वह सबके सामने स्वामी अस्पतालों के अन्दर देखने को मिल रहा है। चिकित्सा सेवा में और सुधार करने के लिए सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सकों को भेजा। लोक सेवा आयोग के माध्यम से डाक्टरों को चयन किया गया और 285 डाक्टरों में से पहली बार 179 चिकित्सकों ने उत्तरांचल के अन्दर योगदान दिया। जनपद पौड़ी में 28 चिकित्सकों को

दुर्गम क्षेत्र में भेजा गया और पहली बार इस तरह का काम हुआ। मान्यवर, मात्र पिछले वर्ष की स्वीकृतियाँ देख लें, उपकेन्द्र स्वीकृत किये गये, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो अधूरे पड़े थे वह स्वीकृत किये गये, इसके साथ ही साथ स्थापनायें की गई। तो जितने काम कर सकते थे वह किये गये। मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी ने कहा कि उत्तरांचल राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए चिकित्सा ढांचे में आमूल परिवर्तन किया जाए। मान्यवर, बेस चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के कई माध्यमों से सुविधायें उपलब्ध कराते हैं। मान्यवर, पिछली बार महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहा गया कि स्वास्थ्य नीति एवं जनसंख्या नीति बनायेंगे।

मान्यवर, उत्तरांचल पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी जनसंख्या नीति एवं स्वास्थ्य नीति बनायी है, किसी और राज्य ने अभी नहीं बनायी है। उसकी एक–एक कापी माननीय सदस्यों को भी भेजी है। अभी माननीय अजय भट्ट जी ने कहा कि कुछ परिवर्तन हुए हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमने कुछ नहीं बहुत परिवर्तन किये हैं। हम चाहते हैं कि दूरगामी क्षेत्रों में जाकर भी कुछ कार्य करें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, दूरस्थ क्षेत्रों में अभी चिकित्सक नहीं पहुँचे हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने कहा उत्तर प्रदेश और आज के समय में अन्तर है, पहले चिकित्सक नही जाते थे, हमने दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष भत्ते दिये हम 20 प्रतिशत विशेष भत्ता दे रहे हैं। मान्यवर, हम चिकित्सकों के लिए आवास बना रहे हैं। मान्यवर, जो 1985 से लेकर आज तक अस्पताल अधूरे पड़े हैं उनके बारे में पहली बार इस सरकार में पहल की गयी है, जो कार्य बहुत समय से चिकित्सा क्षेत्र में होने थे वे अब हो रहे हैं, मान्यवर, कई जगह मुख्य भवन बन गया तो आवासीय भवन नहीं बना और कई जगह आवासीय भवन बन गया तो मुख्य भवन नहीं बना। मान्यवर, स्वास्थ्य नीति के माध्यम से भी हम अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। सभी के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मान्यवर, अभी तक साधारण चिकित्सकों की ही नियुक्ति होती थी, पहली बार कैबिनेट ने तय किया कि विशेषज्ञों की तैनाती होगी और हम ऐसा कर रहे हैं, जैसे ही लोक सेवा आयोग से हमें विशेषज्ञ मिल जायेंगे हम उनकी तैनाती कर देंगे। आज हमारे पास आर्थो सर्जन नहीं हैं, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हैं, पहली बार लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार दृढ संकल्प है, सरकार प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगी। मान्यवर, अजय भट्ट जी तो बहुत योग्य हैं, मैं अभी अधूरा हूँ। जो आपने संकल्प पर चर्चा की है, मैं कहना चाहता हूँ कि इसे आप वापस ले लें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, चूँकि मैंने जो यह संकल्प रखा वह चिकित्सा में आमूल–चूल परिवर्तन के लिए है और मैंने ग्राह्यता पर बोलते हुए यह स्पष्ट किया था कि यह उत्तरांचल की आज आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को इकाई मानकर चिकित्सा व्यवस्था को व्यवस्थित

किया जाए। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में इसका जिक्र नहीं किया कि ब्लाक स्तर पर, जिले स्तर पर किस तरह की व्यवस्था करेंगे। इसलिए मैं अपने इस संकल्प पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए चिकित्सा ढाँचे में आमूल परिवर्तन किया जाए।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में 10 अगस्त, 2002 को दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त 52 नहरों के सुधार व मरम्मत विषयक संकल्प

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, 4 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, बालगंगा घाटी जहाँ की जमीन सोना उगलती है आज वहाँ के किसान, काश्तकार उनके सामने सिंचाई की दुर्व्यवस्था से गम्भीर संकट पैदा हो गया है। इस क्षेत्र की 52 नहरें क्षतिग्रस्त हुई और पूरे जनपद टिहरी गढ़वाल में केवल बालगंगा, भिलंगना घाटी को सबसे ज्यादा उर्वरा जमीन, ज्यादा उत्पादन वाली जमीन और सबसे ज्यादा सिंचित क्षमता वाली जमीन है। इस क्षेत्र की ओर सरकार ने कोई गम्भीर ध्यान नहीं दिया। जिस कारण यहाँ के किसान दुःखी हैं। अब तक उनके खेतों में धान की रोपाई होनी थी लेकिन 10 माह बीतने के बाद भी सरकार ने इन क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिया। इस कारण यहाँ के किसान चिन्तित हैं। इस संदर्भ में मैंने नियम 56 के अन्तर्गत यह सवाल उठाया था और माननीय मंत्री आपदा प्रबन्धन ने कहा कि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबन्धन की धनराशि इस खर्चे में नहीं दी जा सकती।

माननीय सिंचाई मंत्री जी से भी आग्रह किया गया आपके माध्यम से, उन्होंने भी इस सन्दर्भ में कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया। मान्यवर, पूरे क्षेत्र के किसान दुःखी हैं। मान्यवर, सबसे अहम सवाल यह है कि बासर नहर जोकि पाँच कि0मी0 लम्बी नहर है। इससे ग्राम सभा–जखाणा, झिगुन, सौंला, कुण्डी, कुडियाली, चानी, दला, डालगाँव, पोनी, बिटन गाँव, मेंटी, लिसरियाड़ा, खवाड़ा इन सभी ग्राम सभाओं की खेती की सिंचाई इस नहर से होती है। इस नहर का जो हैड है वह क्षतिग्रस्त है जिसका आगणन लगभग 24 लाख रु0 होता है और प्रदेश सचिवालय में इस आगणन की पत्रावली लम्बित पड़ी है और आज तक इस नहर की मरम्मत के लिए कोई कार्यवाही सरकार की ओर से नहीं की गयी। इसके अलावा लुवा नहर जिससे 60 हैक्टेयर भूमि सिंचित होती है, पुजारा नहर से 50 हैक्टेयर भूमि सिंचित होती है। कोट बिशन नहर से जिससे लगभग 111 हैक्टेयर जमीन सिंचित होती है। इन नहरों के क्षतिग्रस्त होने से किसानों के परिवारों का भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न हो गयी है। इन नहरों की मरम्मत का कार्य एवं जीर्णोद्धार का काम आज तक सरकार ने गम्भीरता से नहीं लिया है। मान्यवर, इस क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा हुआ है। उसकी मरम्मत एवं जीर्णोद्धार न होने के कारण।

मान्यवर, पूरे क्षेत्र के लोगों में गम्भीर संकट पैदा हो गया है। मेरा कहना है कि अगर सरकार अपने इस काम में असफल रही और नहरों की मरम्मत के लिए धन का आवंटन नहीं करती है तीन करोड़ रुपये का इसका आगणन है तो सरकार इस क्षेत्र के लोगों को भरण–पोषण के लिए राहत देने का काम करे। आपदा प्रबन्धन मद से केवल यह कहकर टाल दिया जाये कि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार इसमें धन का आवंटन नहीं किया जा सकता है और प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रहे यह उचित नहीं है। मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है और इसको लेकर भिलंगना घाटी, बालगंगा घाटी के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे क्षेत्र की 52 नहरों के हेड क्षतिग्रस्त हो गये हैं जिनकी मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपये का आगणन बनाया गया है, इसका आवंटन किया जाये और यदि सरकार धन का आवंटन नहीं कर सकती है तो वहाँ के काश्तकारों के भरण–पोषण के लिए समुचित व्यवस्था करे और उन्हें राहत पहुँचाये। मान्यवर, दैविक आपदा के घटित होने के 10 महीने के कार्यकाल के दौरान सरकार ने इन नहरों की मरम्मत के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये हैं।

मान्यवर, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ : महाभारत के युद्ध के दौरान पाण्डवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ और जब 1 वर्ष का अज्ञातवास बचा था। जब 1 वर्ष रह गया तो लोगों ने कहा कि अब पाण्डवों को ढूँढा जाये तो लोग धृतराष्ट्र के पास गये और पूछा कि पाण्डव कहाँ मिलेंगे तो उन्होंने कहा कि पाण्डवों को ढूँढो। जहाँ खेत लहलहाते हों, उत्पादन बहुत होता हो, जहाँ दूध, दही की कमी न हो वहाँ पाण्डव मिलेंगे। लोगों ने कहा कि आखिर यह कैसे सम्भव हो सकता है तो धृतराष्ट्र ने कहा कि जिस राजा की नीयत साफ हो वहाँ यह सम्भव है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। पूरे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण धान की रोपाई अवरुद्ध है और बहुत ही गम्भीर संकट पैदा हो गया है। इस सिलसिले में माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूँगा कि सभी सम्मानित सदस्यगण और माननीय सदन मेरे इस संकल्प को पास करने में अपना महान योगदान दें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल और परसों छुट्टी है अगर आप उचित समझें तो आज छुट्टी जल्दी कर दें क्योंकि कई माननीय सदस्यों को दूर जाना है और अन्य प्रस्तावों पर चर्चा जारी रखें। यदि ऐसी व्यवस्था हो सके तो शायद ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष–

यह तो आपको ही देखना है।

इस प्रश्न का उत्तर आ जाये।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, इन बाकी संकल्पों का क्या होगा?

श्री अध्यक्ष–

इन पर चर्चा जारी रहेगी।

सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह सजवाण)–

मान्यवर, 10 अगस्त, 2002 को भिलंगना और अपर गंगा घाटी में जो दैवीय प्रकोप हुआ और उससे जो नुकसान हुआ था उसकी पीड़ा से माननीय सदस्य ने सदन को अवगत कराया है। जो टूटे रास्ते थे उनके निर्माण के लिए, लोगों को राशन उपलब्ध करवाने के लिए, पानी के स्रोतों को ठीक करने और जो भी नुकसान हुऐ थे उनके लिए 1 करोड़ रुपये की त्वरित सहायता प्रदान की गई थी। जहाँ तक नहरों का प्रश्न है तो पर्वतीय नहरों में 2171 में से जैसा कि माननीय सदस्य ने भी अवगत कराया है 62 नहरें भिलंगना घाटी में हैं एवं टिहरी जनपद में यही एक मात्र विकास खण्ड ऐसा है जहाँ पानी की कोई परेशानी नहीं है, अभाव नहीं है और निश्चित रूप से वहाँ पर नुकसान हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्य अवगत होंगे कि पूरे प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को देखते हुए वर्ष 2002–03 में 217 लाख रुपया अनुरक्षण मद में रखा गया था और वर्ष 2003–04 के लिए इसे बढ़ाकर 650 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं 62 नहरों के सम्बन्ध में बात कर रहा था।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। इन नहरों के लिए जो 3 करोड़ रुपये की बात कही गई है, तो इतना पैसा दिया जाना सम्भव नहीं है। फिर भी इन नहरों की मरम्मत करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। बासर नहर के 24.70 लाख रुपये के आगणन के सापेक्ष 10 लाख रुपया स्वीकृत कर दिया गया है और यह पैसा क्षेत्र में भी पहुँच गया है और इन पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य की पीड़ा से सहमत हूँ और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो 62 नहरें हैं पूरी की पूरी नहरों की एक साथ मरम्मत किया जाना सम्भव नहीं है। कम से कम जो किया जा सकता है वह करने का हम प्रयास कर रहे हैं और इसमें माननीय सदस्यों का भी सहयोग चाहिए सरकार इस पर गम्भीरता से सोच रही है और प्रयासरत है कि यह कार्य पूरे हो जायें। सम्भवतः माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे और मा० सदस्य से मेरा निवेदन है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पूरी नहरें क्षतिग्रस्त नहीं हुई हैं, केवल उनके हैड्स क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें से किसी नहर में 2 लाख का खर्च है और किसी में 3 लाख का खर्च होना है। इस प्रकार कुल 3 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। इसमें कोई असम्भव बात नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आने वाले बजट में इसका प्राविधान कर लिया जाए। इन्हीं शब्दों में साथ मैं अपने संकल्प पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में 10 अगस्त, 2002 को दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त 52 नहरों के सुधार व मरम्मत कार्य हेतु खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध तकनीकी आंगणन के अनुसार सिंचाई विभाग, नरेन्द्रनगर द्वितीय खण्ड को 3.00 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 21, मद संख्या 22 तथा मद संख्या 23 के संकल्पों पर चर्चा, चूंकि सदन सहमत है, इसलिए अगले असरकारी दिवस में, जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से उत्तरांचल में साहित्य अकादमी स्थापित करने के सम्बन्ध में डा० नारायण सिंह जन्तवाल की सूचना को मैं नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले नगरों में सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में श्रीमती आशा नौटियाल की सूचना को मैं केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

अब हम सोमवार, दिनांक 16–06–2003 के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन सायं 5 बजकर 16 मिनट पर सोमवार, 16 जून, 2003 अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तरांचल।

देहरादून,
13 जून, 2003 ई०

पी०एस०यू० (आर०ई०) 23 विधान सभा/253–01–10–2003–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।